[2020] 9 एस. सी. आर. 32

सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी और ए. एन. आर.

वी.

नया भारत आश्वासन कंपनी

सीमित और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 2235)

15 अप्रैल, 2020

[आर. एफ. नरीमन और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.166-व्यापक निजी कार 'बी' नीति-घातक दुर्घटना-प्रतिवादी संख्या में काम करने वाला एक सर्जन। 3

अस्पताल अस्पताल के स्वामित्व वाली बस में यात्रा कर रहा था जो बस के चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई सर्जन गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः घायल हो गया। उसकी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई-उसकी पत्नी द्वारा मुआवजे का दावा पॉलिसी में एक खंड था कि बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी जहां से और उसके दौरान मृत्यु या चोट लगी हो।

बीमित व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार का-बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावे का खंडन किया कि मृतक शल्य चिकित्सक एक था

सेवा अनुबंध, बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था कि क्या सर्जन को प्रतिवादी संख्या का कर्मचारी कहा जा सकता था। 3 दुर्घटना की तारीख को जिसके परिणामस्वरूप बीमा कंपनी के पक्ष में देयता प्रावधान की सीमा लागू होगीः पक्षों का इरादा अनुबंध की शर्तों से एकत्र किया जाना है सर्जन और सर्जन के बीच अनुबंध अस्पताल को केवल आपसी सहमति से तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता था और उनके पारिश्रमिक को मानदेय के रूप में वर्णित किया गया था-अनुबंध की शर्तें सेवा के लिए एक थीं, और यह कि अनुबंध शुरू होने की तारीख से सर्जन अब नहीं रहेगा।

अस्पताल के एक नियमित कर्मचारी के रूप में, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी सेवाएं

वे अब एक नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्र पेशेवर के रूप में थे-इसके अलावा, आई. एम. टी.-5 का समर्थन था जो बीमित व्यक्ति और उसके भुगतान किए गए चालक या क्लीनर के अलावा अन्य अनाम यात्रियों को व्यक्तिगत आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता था-अतिरिक्त प्रीमियम था

आई. एम. टी. के समर्थन के लिए भुगतान किया गया जो, इसलिए, इस मामले के तथ्यों में लागू होगा, मृतक एक ऐसा अनाम यात्री है-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

पुनर्स्थापित किया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दलों का इरादा इकट्ठा होना है

अनुबंध की शर्तों से। अनुबंध की शर्तों से यह स्पष्ट होता है कि अनुबंध सेवा के लिए है और अनुबंध शुरू होने की तारीख से डॉ. गांधी अब संस्थान के नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सेवाएं अब नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं हैं। लेकिन एक स्वतंत्र पेशेवर के रूप में। दूसरा, पारिश्रमिक को मानदेय के रूप में वर्णित किया गया है, और इस स्थिति के अनुरूप कि डॉ. गांधी अपने आप में संस्थान में काम करने वाले एक स्वतंत्र पेशेवर हैं, उन्हें लूट का एक हिस्सा मिलता है। तीसरा, वह समान शर्तों पर समझौता करता है क्योंकि समझौता तीन साल के लिए है, जिसे केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। चौथा, उनकी सेवाओं को संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों के सामान्य तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ से नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह तथ्य कि डॉ. गांधी को संस्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अनुबंध सेवा के अन्य सभी कारकों में से एक है। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह कहना आवश्यक है कि डॉ. गांधी संस्थान के आचरण नियमों और छुट्टी नियमों द्वारा शासित होंगे, लेकिन किसी अन्य नियम द्वारा नहीं और भले ही छुट्टी नियम डॉ. गांधी पर लागू होते हैं, क्योंकि वे एक नियमित कर्मचारी नहीं हैं, वे किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं हैं जैसा कि अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकता है। समान रूप से,

डॉ. गांधी और संस्थान के बीच विवादों के मध्यस्थता को संस्थान की प्रबंध समिति को भेजे जाने से पता चलेगा कि उन्होंने अनुबंध में स्वामी और सेवक के रूप में नहीं बल्कि नियोक्ता और स्वतंत्र पेशेवर के रूप में प्रवेश किया है। उपरोक्त सभी का अवलोकन निश्चित रूप से आर्थिक वास्तविकता परीक्षण को लागू करते हुए इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि पक्षों के बीच किया गया अनुबंध एक संस्थान और एक स्वतंत्र संस्थान के बीच एक अनुबंध है। पेशेवर। अन्यथा भी, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि बीमा अनुबंधों में देयता खंडों की छूट को अस्पष्टता के मामले में समझा जाना चाहिए। [पारस 28,29] [65-सी-एच; 66-ए-बी] [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि चूंकि आई. एम. टी.-5 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था, किसी भी मामले में बीमा कंपनी बीमाधारक और उसके भुगतान किए गए चालक या क्लीनर, डॉ. अल्पेश गांधी के अलावा अज्ञात यात्रियों की मृत्यु के मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगी, जो ऐसे ही एक अनाम यात्री हैं। यह इस आधार पर किया गया था कि आई. एम. टी.-5 का अपवाद यह था कि बीमित व्यक्ति के कर्मचारी में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के दायरे में आने वाले व्यक्ति को कवर से बाहर रखा गया है, लेकिन चूंकि डॉ. अल्पेश गांधी श्रमिक मुआवजा अधिनियम के दायरे में नहीं आए थे, इसलिए मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के कारण देय मुआवजे को आई. एम. टी.-5 द्वारा कवर किया जाएगा। इस खोज में बाधा डालने का कोई कारण नहीं है। बीमा पॉलिसी में "तीसरे पक्ष के लिए दायित्व" शीर्षक वाली धारा-II, बीमा कंपनी को मोटर कार में ले जाए गए व्यक्ति की मृत्यु से छूट देती है, जहां ऐसी मृत्यु बीमा पॉलिसी के दौरान और उसके दौरान होती है।

बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति का नियोजन। [पैरा 34] [70-जी-एच; 71-ए-बी]

जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड v. चंदुमुल जैन [1966] 3 एस. सी. आर. 500; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। पुष्पालय प्रिंटर्स (2004) 3 एस. सी. सी. 694: [2004] 2 एस. सी. आर. 631; निर्यात ऋण गारंटी निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. गर्ग संस इंटरनेशनल (2014) 1 एस. सी. सी. 686: [2013] 1 एस. सी. आर. 336; बी. एच. एस. इंडस्ट्रीज बनाम। निर्यात ऋण गारंटी निगम। लिमिटेड (2015) 9 एससीसी 414: [2015] 8 एस. सी. आर. 366; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. ओरिएंट ट्रेजर्स (पी) लिमिटेड (2016) 3 एस. सी. सी. 49: [2016] 1 एस. सी. आर. 1; औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम। उड़ीसा लिमिटेड बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2016) 15 एस. सी. सी. 315

पर भरोसा किया।

सरला वर्मा बनाम। डीटीसी (2009) 6 एससीसी 121: [2009] 5 एस. सी. आर. 1098; धरंगधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम। सौराष्ट्र राज्य [1957] एस. सी. आर. 158; राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड v. बालकृष्णन (2013) 1 एस. सी. सी. 731: [2012] 12 एससीआर 565; चिंतामन राव बनाम। एम. पी. राज्य [1958] एस. सी. आर. 1340; बर्डहिचंद शर्मा बनाम। प्रथम सिविल न्यायाधीश [1961] 3 एस. सी. आर. 24; शंकर बालाजी वजे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [1962] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 24; डी. सी. दीवान सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। नया भारत आश्वासन कंपनी

मोहिदीन साहिब एंड संस बनाम। सचिव, यूनाइटेड बीडी

श्रमिक संघ [1964] 7 एस. सी. आर. 646; रजत जयंती

सिलाई हाउस वी। दुकानों के मुख्य निरीक्षक और

प्रतिष्ठान (1974) 3 एससीसी 498 [1974] 1 एससीआर 747;

हुसैनभाई बनाम। अलाथ फैक्ट्री थेझिलाली यूनियन (1978) 4 एस. सी. सी. 257 [1978] 3 एस. सी. आर. 1073; शाइनिंग टेलर्स बनाम।

औद्योगिक न्यायाधिकरण II, यू. पी. (1983) 4 एस. सी. सी. 464; पी. एम पटेल एंड संस बनाम भारत संघ (1986) 1 एससीसी 32:

[1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 55; भारतीय बैंक संघ। वी. कामगार। सिंडिकेट बैंक (2001) 3 एस. सी. सी. 36: [2001] 1 एससीआर

1011 ; इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम कामगार (2006) 3 एस. सी. सी. 729 [2006] 3 एस. सी. आर. 19-संदर्भित।

ई वी। अवर लेडी ऑफ चैरिटी एंड एनआर का अंग्रेजी प्रांत। 2012 ईडब्ल्यूसीए सिविल 938; ली टिंग सांग बनाम। चुंग

ची-केउंग [1990] 2 ए. सी. 374 संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड का पाँचवाँ संस्करण, वॉल्यूम। 60

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 5 एससीआर 1098

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1957] एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2012] 12 एससीआर 565

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1958] एससीआर 1340

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1961] 3 एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1962] 1 पूरक। एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1964] 7 एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1974] 1 एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1978] 3 एससीआर 1073

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(1983) 4 एस. सी. सी. 464

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1985] 3 पूरक। एससीआर 55

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2001] 1 एससीआर 1011

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1966] 3 एससीआर 500

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2004] 2 एससीआर 631

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2013] 1 एससीआर 336

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2015] 8 एससीआर 366

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[2016] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

(2016) 15 एस. सी. सी. 325

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2235

2010 से।

उच्च न्यायालय के 26.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 के आर/प्रथम अपील सं. 1201 में अहमदाबाद में गुजरात सरकार की।

ओ. पी. भदानी और विकास कोचर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

एस. एल. गुप्ता, सुश्री गुंजन शर्मा, आशुतोष शर्मा, सुश्री माता

प्रसाद सिंह, रंजना आर. सिंह, कुदीप सिंह तोमर, एस. एस. गुप्ता, वरिंदर कुमार शर्मा और दीपक आनंद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 09.06.1997 पर, अपीलार्थी संख्या 1 के पति, जो एक

शल्य चिकित्सक, एक छोटी बस में यात्रा कर रहे थे जिसका स्वामित्व रोटरी नेत्र संस्थान, नवसरी (इसमें उत्तरदाता संख्या 3) के पास था और साथ में उक्त संस्थान के अन्य चिकित्सा कर्मचारी भी थे। मिनी-बस को अत्यधिक गति से चलाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रात करीब 8:30 बजे जब मिनी-बस कभार पाटिया के पास गांदेवी-नवसरी रोड से गुजर रही थी, तो मिनी-बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। अपीलार्थी नं. 1 का पति गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः

अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

3. 17.04.1997 पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड की व्यापक निजी कार 'बी' नीति (इसमें उत्तरदाता संख्या 1)। उपरोक्त बीमा पॉलिसी 24.04.1997 से 20.04.1998 तक वैध थी। दायित्व खंड की सीमा, जिस पर उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय द्वारा भरोसा किया गया है, निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

" धारा II तीसरी पार्टियों की देयता

1. अनुसूची में निर्धारित दायित्व की सीमाओं के अधीन

यहाँ कंपनी शीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम की स्थिति में बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देगी।

मोटर कार के उपयोग के कारण या उसके कारण होने वाली दुर्घटना

दावेदार की लागतों और खर्चों सहित सभी राशियों के विरुद्ध जो

बीमित व्यक्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो जाएगा

(क) रहने वालों सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट

मोटर कार में ले जाया जाता है (बशर्ते ऐसे सवार न हों) किराया या इनाम के लिए ले जाया जाता है) लेकिन जहां तक आवश्यक हो उसे छोड़कर

मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी

जहाँ ऐसी मृत्यु या चोट उत्पन्न होती है वहाँ उत्तरदायी नहीं होगा और बीमाकृत द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोजन के दौरान।

इसके अलावा, समर्थन आई. एम. टी.-5 में कहा गया हैः

बीमित व्यक्ति और उसके भुगतान किए हुए चालक या क्लीनर के अलावा। एक अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के विचार में यह है

एतद्वारा समझा गया और सहमति व्यक्त की गई कि कंपनी उपक्रम करती है

शारीरिक क्षति के लिए नीचे दिए गए पैमाने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करना

इसके बाद किसी अन्य यात्री द्वारा दी गई चोट को परिभाषित किया गया है

बीमित व्यक्ति और/या उसके भुगतान किए गए चालक परिचारक या क्लीनर की तुलना में

बीमित व्यक्ति की सेवा उस समय की जाती है जब ऐसी चोट लगी रहती है। उतरने में चढ़ना या यात्रा करना लेकिन गाड़ी नहीं चलाना

मोटर कार और हिंसक आकस्मिक बाहरी के कारण और

ऐसी चोट लगने के तीन कैलेंडर महीनों के भीतर इसका परिणाम हैः

का पैमाना क्षतिपूर्ति

(क) केवल मृत्यु

100 %

ख) कुल और अपूरणीय हानिः

(i) दोनों आँखों की या वास्तविक आँखों की दृष्टि

100 %

दो पूरे हाथ या दो पूरे पैर या एक पूरे हाथ और एक पूरे भोजन के शारीरिक रूप से अलग होने से या एक आंख के नुकसान से और एक पूरे हाथ या एक पूरे पैर के नुकसान से।

(ii) दो हाथ या दो पैर, या एक हाथ और एक पैर का उपयोग करना।

एक आँख की दृष्टि की हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि।

100 %

ग) कुल और अपूरणीय हानिः

(i) एक आँख या वास्तविक आँख की दृष्टि

100 %

एक पूरा हाथ या एक पूरा पैर के शारीरिक पृथक्करण से हानि (ii) बिना शारीरिक अलगाव के हाथ या पैर का उपयोग करना।

100 %

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आई. एम. टी.-5 के समर्थन के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था, जो इसलिए इस मामले के तथ्यों में लागू होगा। यह भी निर्विवाद है कि आई. एम. टी.-16 का समर्थन, जो बीमित व्यक्ति के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य दायित्व से संबंधित है, जो भुगतान किए गए चालकों के अलावा नियोक्ता की कार में यात्रा कर सकते हैं, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर भी कवर किया जा सकता है। यह इन तथ्यों पर निर्विवाद है मामला यह है कि जहां तक आई. एम. टी.-16 के समर्थन का संबंध है, ऐसा कोई अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था।

4. अपीलार्थी नं. 1 के पति डॉ. अल्पेश I. गाँधी ने सेवाओं के लिए एक अनुबंध किया था, जिसका दिनांक 04.05.1996 था।

उपरोक्त प्रत्यर्थी संख्या 3 संस्थान में नेत्र शल्य चिकित्सक। चूँकि इस अपील में निर्धारित किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या डॉ. अल्पेश प्रथम गांधी को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा नियोजित कहा जा सकता है या उन्होंने केवल एक स्वतंत्र पेशेवर के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ सेवाओं के लिए अनुबंध किया है, इसलिए महत्वपूर्ण होने के कारण अनुबंध की शर्तें यहां पूरी तरह से निर्धारित की गई हैंः

" सबः सम्मान के रूप में सेवाओं के लिए अनुबंध

रोटरी आई इंस्टीट्यूट में ऑप्थैलमिक सर्जरी,

नवसरी।

सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

डॉ. एल्पेश आई. गांधी, जिन्हें इसके बाद ए. आई. जी. के रूप में संदर्भित किया गया है और रोटरी आई इंस्टीट्यूट, नवसरी, जिन्हें इसके बाद आर. ई. आई. एन. के रूप में संदर्भित किया गया है, के बीच किए गए शीर्षक वाले विषय पर यह अनुबंध दिनांक 01-04-1996 से प्रभावी हो गया है और यह निम्नलिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित है।

I.DESIGNATION: मानद नेत्र शल्य चिकित्सक।

रीन; ii. ए. आई. जी. को संचालन शुल्क से हर महीने अलग रखे गए कुल धन के उचित प्रतिशत का 10 प्रतिशत भी दिया जाएगा।

आर. ई. आई. एन. द्वारा संस्थान के रोगियों से एकत्र किए गए अस्पताल में भर्ती होने के बिलों का घटक;

iii. ए. आई. जी. भी उचित प्रतिशत का 10 प्रतिशत पाने का हकदार होगा।

आर. ई. आई. एन. द्वारा एकत्र किए गए अस्पताल में भर्ती होने के बिलों के कमरे में जाने के शुल्क घटक से हर महीने अलग रखे गए कुल धन का

संस्थान के रोगियों से;

नोट्सः

ए। कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति मानदेय के अतिरिक्त है जैसा कि ऊपर खंड II में कहा गया है;

बी। कि ए. आई. जी. की देखभाल के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों को ऑपरेशन के बाद की देखभाल के लिए ए. आई. जी. द्वारा जाना होगा।

IV. समय और कर्तव्यः

कि ए. आई. जी. निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर. ई. आई. एन. को पूरा समय समर्पित करेगाः आई. सुबह और दोपहर दोनों सत्रों में ओ. पी. डी. रोगियों की जांच;

ii. संस्थान प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसूचियों के अनुसार भुगतान करने वाले और गैर-भुगतान करने वाले रोगियों का संचालन; iii. सभी प्रकृति के आपातकालीन मामले; [2020] 9 एस. सी. आर

संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण पर संस्थान के अनुसंधान और विकास विभाग की ओर से चिकित्सा सम्मेलन; vii. संस्थान के कनिष्ठ डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण।

viii. कोई अन्य कार्य जो समय के साथ बनाया जा सकता है लेकिन वर्तमान में स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं की गई है।

वह ए. आई. जी. समय-समय पर संस्थान के अवकाश नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हालाँकि, ए. आई. जी. किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। जहाँ तक अवकाश नियमों का संबंध है, किसी भी प्रकार का प्रचलित वित्तीय लाभ जो संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकता है।

VI. साप्ताहिक अवकाश और अवकाशः

आई. ए. आई. जी. प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए संस्थान द्वारा तय किए गए साप्ताहिक अवकाश के साथ-साथ सार्वजनिक अवकाश का भी हकदार होगा। उस माननीय। हालाँकि, अस्पताल अधीक्षक के पास अस्पताल के आधार पर इसमें बदलाव करने का अधिकार होगा।

आकस्मिकताएँ।

ii. वह ए. आई. जी. प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।

VII. नियम बनाएँः

वह ए. आई. जी. संस्थान के आचरण नियमों द्वारा शासित होगा जैसा कि समय-समय पर प्रचलित है और जैसा कि संस्थान के नियमित कर्मचारियों पर लागू होता है।

सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

VIII. मतभेदों का विभाजनः

IX. अनुबंध का कार्यकालः कि यह अनुबंध 1-4-96 से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी है।

हालाँकि, इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है

आपसी सहमति। X. अनुबंध की समाप्तिः

कि स्पष्ट तीन महीने का नोटिस देना होगा।

अनुबंध की समाप्ति के महीने से ठीक पहले के महीने; ii. ए. आई. जी. से आर. ई. आई. एन. तक, यदि ए. आई. जी. इस अनुबंध को समाप्त करना चाहता है या नोटिस अवधि के बदले में ए. आई. जी. को माननीय के बराबर राशि (आर. ई. आई. एन. को) का भुगतान करना होगा। अनुबंध की समाप्ति के महीने से ठीक पहले पिछले तीन महीनों के लिए संस्थान द्वारा उसे भुगतान की गई राशि।

नोटः कि सिद्ध मामले में अनुशासनहीनता या विश्वास के उल्लंघन की स्थिति में, आरईआईएन अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है

किसी भी समय बिना कोई मुआवजा दिए।

XI. वर्तमान रोजगार का अनुभवः

कि 1 अप्रैल 96 से, ए. आई. जी. अब नहीं रहेगा

संस्थान का नियमित कर्मचारी और वह जो पहले था

नियुक्ति आदेश सं. 10795 डी. टी. डी. 03-04-1995 स्वचालित रूप से शून्य हो जाता है "। 5. अपीलकर्ताओं ने मोटर की धारा 166 के तहत याचिका दायर की

क्लेस अधिनियम, 1988,1997 का एम. ए. सी. पी. <आई. डी. 1 होने के नाते, चालक, प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ, जिसमें उन्होंने डॉ. अल्पेश I. गांधी की मृत्यु के लिए 1 करोड़ रुपये का दावा किया था। ऑन ने कहा कि डॉ. गांधी की मृत्यु के समय उनकी आयु 28 वर्ष थी

13, 000 रुपये की मासिक आय अर्जित कर रहा था।

6. सेवा दिए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने न्यायाधिकरण के समक्ष अनुपस्थित रहने का फैसला किया। उत्तरदाता नं.

1 अपना लिखित बयान दाखिल किया जिसमें उसने अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए भौतिक कथनों का खंडन किया और इसके अलावा, प्रस्तुत किया कि मृतक अस्पताल का कर्मचारी होने के नाते अपने रोजगार के दौरान हुई मृत्यु या चोट के लिए कवर नहीं किया गया था, जिससे मामले में बीमा कंपनी के दायित्व को पूरी तरह से हटा दिया गया था। न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया और उनका उत्तर इस प्रकार दियाः

" 1. क्या आवेदक यह साबित करते हैं कि मृतक की मृत्यु चालक, प्रतिद्वंद्वी की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी दुर्घटना में शामिल वाहन का नंबर 1?

2. क्या आवेदक मुआवजे के हकदार हैं? अगर

हाँ, कितनी राशि और किससे?

2 - ए क्या दावेदार यह साबित करता है कि मृतक का जोखिम है

अस्पताल को जारी की गई पॉलिसी में शामिल?

2 - बी क्या प्रतिद्वंद्वी संख्या 3 यह साबित करता है कि मृतक का जोखिम पॉलिसी में शामिल नहीं है, क्योंकि मृतक अस्पताल का कर्मचारी है और मृत्यु नियम और शर्तों की धारा-II के रूप में रोजगार के दौरान हुई है।

नीति में इस तरह के जोखिम को शामिल नहीं किया गया है?

3. कौन सा पुरस्कार और आदेश?

उपरोक्त मुद्दों पर मेरे निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों से हैंः

1. सकारात्मक में।

2. सकारात्मक में। खोज के अनुसार।

2 - ए सकारात्मक रूप से। 2 - बी नकारात्मक में

3. अंतिम आदेश के अनुसार "।

7. तथ्य के निष्कर्षों के अनुसार, यह पाया गया कि चालक के पक्ष में ड्राइविंग लाइसेंस वैध था, और यह कि चालक वाहन चलाने में जल्दबाजी और लापरवाही कर रहा था, जिसके कारण डॉ. अल्पेश गांधी की मृत्यु हो गई। न्यायाधिकरण ने तब पाया कि उक्त डॉक्टर आई. एन. आर. 1,47,000 की वार्षिक आय अर्जित कर

रहा था। सरला वर्मा बनाम। डी. टी. सी. (2009) 6 एस. सी. सी. 121, न्यायाधिकरण, कटौती के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के बाद, सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अंततः मासिक के रूप में 18,275 रुपये की आय के आंकड़े पर पहुंचे।

आय। न्यायाधिकरण ने तब आई. एन. आर. 2,19,300 की वार्षिक आय में '17' का गुणक लागू किया, जिससे कुल आई. एन. आर. 37,28,100/- हो गया। कंसोर्टियम खर्चों को आई. एन. आर. 25,000 के रूप में जोड़ा गया; अंत्येष्टि खर्च आई. एन. आर. 10,000 के रूप में, जिससे आई. एन. आर. 37,63,100 के कुल मुआवजे के आंकड़े पर पहुंचा।

8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता था। महत्वपूर्ण रूप से, तीनों उत्तरदाताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। यह इस आधार पर था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 और डॉ. अल्पेश गांधी के बीच किए गए अनुबंध के विश्लेषण पर, अनुबंध सेवा के लिए एक अनुबंध था, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को प्रत्यर्थी संख्या 3 के रोजगार में नहीं माना जा सकता था।

8. प्रत्यर्थी संख्या 3 और डॉ. गांधी के बीच दिनांकित संख्या 1 की सेवाओं के अनुबंध के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय का दिनांक 3 का विवादित निर्णय विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा, जिसमें कहा गया कि चूंकि अनुबंध एक सेवा अनुबंध था, इसलिए बीमा कंपनी को 50,000 रुपये की सीमा के अलावा उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, जो भारतीय मोटर शुल्क के सामान्य विनियमों के विनियमन 27 को दिनांक 2 पर निर्धारित करने के बाद आया था, जिसके द्वारा इस मामले में शामिल पॉलिसियों के लिए अधिकतम कवर तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जहां प्रीमियम का भुगतान 25 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के अलावा, प्रति व्यक्ति बीमित पूंजी राशि केवल 50,000 रुपये होगी। इस प्रकार, बीमा कंपनी की देनदारी आई. एन. आर. 50,000 आंकी गई थी, उत्तरदाता संख्या 2 और उत्तरदाता संख्या 3 की देनदारी शेष राशि के लिए थी।

9. विचार के लिए जो परेशान करने वाला सवाल उठता है, वह यह है कि क्या कहा जा सकता है कि डॉ. अल्पेश गांधी की नियुक्ति की गई थी।

उत्तरदाता सं. 3 दुर्घटना की तारीख को, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता सं. 1 के पक्ष में देयता प्रावधान की सीमा, जैसा कि यहाँ ऊपर निर्धारित किया गया है, लागू होगी।

10. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री विकास कोचर ने हमें डॉ. गांधी और उनके बीच हुए अनुबंध के बारे में बताया है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुबंध सेवाओं के लिए एक है और प्रति माह 4000 रुपये के मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, डॉ. गांधी किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

जहाँ तक छुट्टी के नियम हैं, अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

संबंधित, यह स्पष्ट करते हुए कि डॉ. गांधी, इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि डॉ.

दलों के बीच इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ गांधी अब संस्थान के एक नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहते हैं। इसके बाद उन्होंने धरंगधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड पर निर्भरता रखी। सौराष्ट्र राज्य 1957 एस. सी. आर. 158 और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बालकृष्णन (2013) 1 एस. सी. सी. 731।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 और डॉ. अल्पेश गांधी के बीच दिनांक 04.05.1996 के समझौते के समग्र अध्ययन पर, अनुबंध सेवा का है न कि सेवा के लिए। अन्यथा भी, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह कहना गलत था कि बीमित व्यक्ति आई. एम. टी. के समर्थन के दायरे में आता है।

5 , जिसके द्वारा बीमित व्यक्ति और उसके भुगतान किए गए चालक या क्लीनर के अलावा अन्य अनाम यात्रियों को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर 100% की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जहां मृत्यु हो जाती है। विद्वान वकील का कहना है कि आई. एम. टी.-5 इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा, लेकिन आई. एम. टी.-16 लागू होगा। चूंकि आई. एम. टी.-16 को लागू करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए बीमा कंपनी मोटर वाहन के संबंध में दुर्घटना के संबंध में किसी कर्मचारी की मृत्यु के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के संबंध में बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में औद्योगिक विवादों के संदर्भ में निर्धारित करने के लिए परीक्षणों का पालन करने का संकेत दिया है।

अधिनियम और कारखाना अधिनियम, कि क्या विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, उन्हें नियोक्ता के "नियोक्ता" के रूप में कहा जा सकता है। इस प्रकार, धाराधारा (ऊपर) में, न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या वर्षा जल से मिट्टी में खारे पदार्थ के साथ मिश्रित होने वाले पेशेवर मजदूरों के एक वर्ग, जिसे अगरिया के रूप में जाना जाता है, द्वारा निर्मित नमक को अपीलार्थी के साथ सेवा अनुबंधों के अनुसरण में कहा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे तब औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कामगारों के रूप में माने जाने के हकदार होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 2 (ओं) के तहत "कर्मकार" की परिभाषा निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने सेवा अनुबंध और सेवा अनुबंध के बीच अंतर करने के लिए निर्धारित सबसे शुरुआती परीक्षण का उल्लेख किया, अर्थात्, जबकि बाद के मामले में, स्वामी आदेश दे सकता है या क्या करने की आवश्यकता है, पूर्व मामले में, वह न केवल आदेश दे सकता है या क्या करने की आवश्यकता है, बल्कि यह भी कह सकता है कि यह कैसे किया जाएगा। कई अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इसके बाद अदालत ने एक जहाज के मालिक, एक चालक और एक समाचार पत्र के कर्मचारी पर एक रिपोर्टर का उदाहरण देते हुए एक जहाज के पायलट, एक टैक्सी सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम का फैसला सुनाया।

व्यक्ति और एक समाचार पत्र योगदानकर्ता, कि परीक्षण यह होगा कि क्या काम नियोक्ता के व्यवसाय के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है, जिस स्थिति में यह सेवा का अनुबंध होगा, या क्या यह एक सहायक के रूप में किया गया था

ऐसे व्यवसाय के लिए, जिस स्थिति में यह सेवा के लिए एक अनुबंध होगा। अन्य परीक्षण जो निर्धारित किए गए थे वे थे कि क्या स्वामी के पास सेवक का चयन करने की शक्ति थी, क्या वह मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान करता था, क्या स्वामी को काम करने के तरीके को नियंत्रित करने का अधिकार था, और क्या स्वामी को निलंबित करने या बर्खास्त करने का अधिकार था।

कर्मचारी। अंततः, निर्णय के अनुसार, वास्तविक परीक्षा इस प्रकार मानी गईः

" इन प्राधिकरणों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि स्वामी और सेवक के बीच संबंध के निर्धारण के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षण स्वामी में सेवक द्वारा किए गए कार्य की निगरानी और नियंत्रण करने के अधिकार का अस्तित्व है, न केवल यह निर्देश देने के मामले में कि सेवक को क्या काम करना है, बल्कि यह भी कि वह अपना काम किस तरीके से करेगा, या पृष्ठ में भगवान उथ्वट के शब्दों को उधार लेगा। 23 मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम। कॉगिन्स एंड ग्रिफ़िथ (लिवरपूल) लिमिटेड [(1952) एससीआर 696,702] "उचित परीक्षण यह है कि क्या अवक्रेता के पास इसे नियंत्रित करने का अधिकार था या नहीं।

विचाराधीन अधिनियम के निष्पादन का तरीका।

इंग्लैंड में अपील न्यायालय ने भी विचार व्यक्त किया है कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति एक कर्मचारी है, कि नियोक्ता को अपने काम पर नियंत्रण रखने के लिए साबित किया जाना चाहिए, कि नियंत्रण का परीक्षण सार्वभौमिक अनुप्रयोग में से एक नहीं था और ऐसे कई अनुबंध थे जिनमें स्वामी उस तरीके को नियंत्रित नहीं कर सकता था जिसमें काम किया गया था (कैसिडी v में सोमरवेल, एल. जे. की टिप्पणियों के माध्यम से)। स्वास्थ्य मंत्रालय, (ऊपर), और डेनिंग, एल. जे. स्टीवेन्सन, जॉर्डन और हैरिसन लिमिटेड बनाम।

मैकडोनाल्ड और इवांस, (ऊपर) "।

अंततः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य का प्रश्न होगा जिसका निर्णय मामले की सभी परिस्थितियों द्वारा किया जाएगा। यह भी माना गया कि

केवल यह तथ्य कि अगरिया टुकड़ों में काम करते थे, काम मौसमी होने के कारण, और यह तथ्य कि वे अपने लिए काम करने के लिए दूसरों को नियुक्त कर सकते हैं, इस तथ्य से विचलित नहीं होगा कि वे पेशेवर मजदूर हैं जिनके पास [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया। अंत में, न्यायालय ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने से इनकार कर दिया कि मामले के तथ्यों पर इन अगरियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक माना जाएगा।

नियोजित को कारखाने परिसर के भीतर काम करना पड़ता था और दोपहर से पहले काम पर जाना पड़ता था। इसके अलावा, "नियंत्रण का अधिकार" का अर्थ यह था कि जब तक कुछ मात्रा में पर्यवेक्षण होता है प्रबंधन, क्योंकि प्रबंधन को तैयार की गई बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि वे उचित मानक पर नहीं आते हैं, तो यह संकेत देगा कि ऐसे व्यक्ति श्रमिक होंगे।

15. शंकर बालाजी वाजे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1962 उप (1) एस. सी. आर. 24, इस न्यायालय ने एक के बीच स्थापित तथ्यों को निर्धारित किया।

पांडुरंग, जो एक कारखाने में बीड़ी बनाने वाले के मालिक द्वारा नियुक्त किया गया था, और नियोक्ता इस प्रकार हैः

" पहला तर्क मामले के स्थापित तथ्यों पर आधारित है, जो प्रस्तुत किया जाता है, अपीलार्थी और पांडुरंग के बीच स्वामी और सेवक के संबंध को नहीं दर्शाता है, क्योंकि वे इंगित करते हैं कि अपीलार्थी का कोई पर्यवेक्षण और नियंत्रण नहीं था।

पांडुरंग ने कारखाने में जो काम किया था, उसका विवरण दिया। द.

निम्नलिखित स्थापित तथ्य हैं:

(1) दोनों के बीच कोई समझौता या सेवा अनुबंध नहीं था

अपीलार्थी और पांडुरंग।

(2) पांडुरंग किसी भी निश्चित घंटे के काम के लिए या किसी भी निश्चित अवधि के लिए रोलिंग बीड़ी के काम के लिए कारखाने में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं था। वे जब चाहें कारखाने में जाने के लिए स्वतंत्र थे और जब चाहें कारखाने छोड़ने के लिए भी उतने ही स्वतंत्र थे। बेशक, वह काम के घंटों के दौरान कारखाने में हो सकता है

कारखाना।

(3) पांडुरंग अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन काम से अनुपस्थित रह सकता था। वह अपीलार्थी को सूचित किए बिना भी दस दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है। यदि उसे दस दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहना था तो उसे अपीलार्थी को सूचित करना था, न कि उसकी अनुमति लेने या जाने के उद्देश्य से, बल्कि अपीलार्थी को आश्वस्त करने के उद्देश्य से कि उसने कारखाने में काम छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

(4) पांडुरंग द्वारा किए गए कार्य का कोई वास्तविक पर्यवेक्षण नहीं था।

कारखाना।

(5) पांडुरंग को बीड़ियों की मात्रा के आधार पर निश्चित दरों पर भुगतान किया जाता था। हालाँकि इस बात की कोई शर्त नहीं थी कि उन्हें मुड़ना होगा।

एक दिन में बीड़ियों की कोई भी न्यूनतम मात्रा निकाल लें।

(6) पांडुरंग को घर ले जाने और वहां काटने के लिए पत्तियों की आपूर्ति की जाती थी। बीड़ी भरने के लिए तंबाकू की आपूर्ति कारखाने में की जाती थी। पांडुरंग कारखाने में बीड़ियों को लुढ़काने के लिए बाध्य नहीं था। वह तंबाकू को घर ले जाने के लिए अपीलार्थी से अनुमति लेने पर अपने स्थान पर ऐसा कर सकता था। अनुमति आवश्यक थी क्योंकि

उत्पाद शुल्क नियमों का और किसी भी कथित शर्त के कारण नहीं

सेवा करते हैं।

(7) दिन के अंत में, बीड़ियों को अपीलार्थी को दिया जाता था और मानक तक की बीड़ियों को अस्वीकार कर दिया जाता था। इन तथ्यों पर, बर्डहिचंद (उपरोक्त) में निर्णय था

अनुमान लगाया और चिंतामन राव (ऊपर) ने आवेदन किया। अदालत ने

" इसके अलावा, मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी का पांडुरंग के काम के विवरण पर कोई नियंत्रण और पर्यवेक्षण नहीं था।

वे अपने काम के घंटों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह अपने काम के दिनों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। पांडुरंग स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र था और किसी भी समय कारखाने में जाने और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय उसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र था। अपीलार्थी प्रतिदिन बीड़ियों की किसी विशेष न्यूनतम मात्रा पर जोर नहीं दे सकता था। वह पांडुरंग द्वारा बीड़ी या कई बीड़ियों को घुमाने में बिताए गए समय को नियंत्रित नहीं कर सके। रोलिंग बीड़ी का काम एक सरल काम हो सकता है और निर्माण की प्रक्रिया के दौरान किसी विशेष पर्यवेक्षण और दिशा की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कोई

ऐसी दिशा दी जा सकती है।

XXX XXXXX

यह सच है, जैसा कि राज्य के लिए तर्क दिया गया है कि नौकरी के काम के आधार पर बीड़ी रोल करने वाले व्यक्ति श्रमिक हो सकते हैं, लेकिन केवल ऐसे व्यक्ति ही ऐसे श्रमिक होंगे जो कारखाने में नियमित रूप से काम करते हैं और उन्हें किए गए काम के आधार पर अपने नियमित रोजगार के दौरान किए गए काम के लिए भुगतान किया जाता है। टुकड़ों में काम करने वाले कर्मचारी अधिनियम में 'श्रमिक' की परिभाषा के अनुसार श्रमिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नियमित होना चाहिए।

श्रमिक नहीं बल्कि श्रमिक जो अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और काम करते हैं। यह भी सच है, जैसा कि राज्य के लिए आग्रह किया गया है, कि एक कर्मचारी, अधिनियम में उस अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर, आवश्यक नहीं है

पूर्णकालिक कर्मचारी। लेकिन, फिर भी, कर्मचारी को अपने सेवा अनुबंध के तहत, एक निश्चित अवधि के लिए काम करने का दायित्व होना चाहिए।

अवधि या निश्चित घंटों के बीच। सेवा की पूरी अवधारणा एक ऐसे सेवक के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती है जिसे अपने स्वामी के आदेश के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी खुशी के अनुसार अपने काम में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता है। हम कह सकते हैं कि इस राय को दूसरे विवाद पर हमारी धारणा से समर्थन मिलता है। अगर पांडुरंग एक कार्यकर्ता था, तो

छुट्टी और छुट्टी मजदूरी के बारे में प्रावधान उस पर लागू होने चाहिए। हमारी राय है कि वे ऐसा नहीं करते हैं और उस संबंध में हम जो कहते हैं वह हमारे विचार को पुष्ट करता है कि पांडुरंग एक कार्यकर्ता नहीं था क्योंकि श्री चिंतामन राव मामले में निर्धारित तीन मानदंड और शर्तें थीं।

[1958 एस. सी. आर. 1340] में उन्हें इस रूप में गठित करने के लिए पूरा नहीं किया गया है वर्तमान मामला '।

16. डी. सी. दीवान मोहिदीन साहिब एंड संस बनाम सचिव, ईडी बीडी श्रमिक संघ (1964) 7 एससीआर 646, न्यायालय ने एक समझौता किया जिसमें उसके समक्ष मामले के तथ्यों का खुलासा किया गया,

बनाम ः

सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक नमूना समझौता प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान किया गया थाः

(1) कि मालिक को तंबाकू की आपूर्ति करनी चाहिए और

बीड़ी के पत्ते;

(2) कि मध्यस्थ को अपने स्वयं के परिसर को संलग्न करना चाहिए और होने के काम को जारी रखने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए

बीड़ियाँ वहाँ लुढ़क गईं;

(3) कि किसी भी समय नौ से अधिक बीड़ी रोलर काम नहीं करना चाहिए

उस मध्यस्थ के परिसर में;

(4) कि मध्यस्थ को बीड़ियों को घुमाने के लिए सभी आनुषंगिक शुल्कों को पूरा करना चाहिए, जिसमें धागे की लागत और बिडी रोलर्स को भुगतान किया गया पारिश्रमिक;

(5) कि बिचौलिये द्वारा मालिक को लुढ़की गई और वितरित की गई 1000 बीड़ियों की प्रत्येक इकाई के लिए, बाद वाले को तंबाकू की लागत और मालिक द्वारा आपूर्ति की गई बीड़ी पत्तियों में कटौती करने के बाद निर्धारित राशि का भुगतान करना चाहिए;

(6) कि मध्यस्थ को समान रूप से प्रवेश नहीं करना चाहिए

किसी भी अन्य औद्योगिक सरोकार के साथ जुड़ाव;

(7) कि कच्चे माल की कीमत और 1000 बिड़ियों की प्रत्येक इकाई के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत तय की जानी थी

मालिक के विवेक पर।

इन शर्तों के अलावा, अनुबंध में यह भी प्रावधान किया गया था कि यह किसी भी शर्त के उल्लंघन पर समाप्त होने के लिए उत्तरदायी था, और यह कि मालिकों का कोई संबंध नहीं था और उन्होंने बीड़ी श्रमिकों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली, जिन्हें बीडी श्रमिकों की देखभाल करनी थी। बीड़ियों को घुमाने के लिए उन्हें जो देय था, उसके लिए मध्यस्थ।

इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया गया था। उक्त निर्णयों में निर्धारित अनुसूचियों को लागू करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया किः

" हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रणाली कारखाना अधिनियम के तहत नियमों से बचने के लिए विकसित किया गया। इसके अलावा समझौते की जो भी शर्तें उपलब्ध हैं, उनमें भी कोई संदेह नहीं है।

अभिलेख पर कि तथाकथित स्वतंत्र ठेकेदारों को वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि अपील अदालत ने बताया है कि वे निर्दोष व्यक्ति हैं जो शायद ही कारखाने बना सकते थे

अपने आप में। उनमें से कुछ तो [2020] 9 एस. सी. आर. के पूर्व कर्मचारी भी हैं।

ठेकेदार अपने तथाकथित कारखाने में नौ से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करने के लिए भी बाध्य है। तथाकथित स्वतंत्र ठेकेदार को कच्चे माल की बिक्री और उसके द्वारा निर्मित बिड़ियों की पुनर्विक्रय भी केवल एक छलावा है, जिसकी प्रकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि तथाकथित ठेकेदार ने कभी भी कच्चे माल के लिए भुगतान नहीं किया। सामग्री।
ऐसा केवल इतना होता है कि जब विनिर्मित बीड़ियाँ उसके द्वारा अपीलार्थियों को वितरित की जाती हैं, तो कच्चे माल की तथाकथित बिक्री के लिए देय राशि बीड़ियों के लिए निर्धारित तथाकथित मूल्य से काट ली जाती है। वास्तव में जो कुछ हुआ वह यह है कि तथाकथित स्वतंत्र ठेकेदार को तंबाकू और पत्तियों की आपूर्ति की जाती है और

नियोजित श्रमिकों की मजदूरी और अपनी खुद की परेशानी के लिए कुछ राशि का भुगतान किया। इसलिए हम यह मानने में कोई कठिनाई नहीं देख सकते हैं कि तथाकथित ठेकेदार केवल एक कर्मचारी या एक एजेंट है। अपील
न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अपीलार्थी और ऐसे कर्मचारी या अभिकर्ता के रूप में वह अपीलार्थियों की ओर से बीड़ी रोल करने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करता है। यह कार्य कई तथाकथित स्वतंत्र लोगों के बीच वितरित किया जाता है।

जिन ठेकेदारों को कारखाना अधिनियम के तहत नियमों से बचने के लिए एक स्थान पर नौ से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करने के लिए कहा जाता है। हम हैं।

तथापि, वर्तमान अपीलों में मामले के उस पहलू से संबंधित नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि तथाकथित ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक वास्तव में अपीलार्थियों के कर्मचारी हैं जो अपने एजेंटों या नौकरों के माध्यम से कार्यरत हैं जिन्हें वे स्वतंत्र ठेकेदार कहने के लिए चुनते हैं।

17. कालानुक्रमिक क्रम में अगला मामला यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि तथ्यों का एक विशेष समूह रेखा के किस तरफ इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि एक अनुबंध सेवा या सेवा के लिए है। इस प्रकार, सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस बनाम। दुकानों के मुख्य निरीक्षक और

प्रतिष्ठान (1974) 3 एस. सी. सी. 498, इस न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) दुकानों की धारा 2 (14) के तहत सिलाई के उद्देश्यों के लिए दुकान के मालिक द्वारा नियोजित व्यक्तियों और सिलाई की दुकान के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है।

और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1951। उक्त अधिनियम की धारा 2 (14) ने 'नियोजित व्यक्ति' को परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है, किसी दुकान के मामले में, दुकान के व्यवसाय के संबंध में उसमें पूरी तरह से या मुख्य रूप से कार्यरत व्यक्ति। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 में तथ्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया थाः

सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 7. विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। सभी श्रमिकों को आंशिक दर के आधार पर वेतन दिया जाता है। यदि काम है तो मजदूर आम तौर पर हर दिन दुकानों पर जाते हैं। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दर समान नहीं है। दर कर्मचारी के कौशल और काम की प्रकृति पर निर्भर करती है।

जब कपड़े को काटने के बाद किसी कर्मचारी को सिलाई के लिए दिया जाता है, तो कर्मचारी को बताया जाता है कि उसे कैसे सिलाई करनी चाहिए। यदि वह निर्देश के अनुसार इसे सिलाई नहीं करता है, तो नियोक्ता काम को अस्वीकार कर देता है और वह आम तौर पर कर्मचारी को इसे फिर से लगाने के लिए कहता है। जब किसी कर्मचारी द्वारा निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया जाता है, तो आम तौर पर उसे आगे कोई काम नहीं दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी एक दिन में दुकान पर काम के लिए नहीं जाना चाहता है, तो वह छुट्टी के लिए कोई आवेदन नहीं करता है, न ही उसे सूचित करने का कोई दायित्व है। नियोक्ता कि वह उस दिन काम पर नहीं जाएगा। यदि कोई काम नहीं है, तो कर्मचारी दुकान बंद होने से पहले दुकान छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। लगभग सभी कर्मचारी दुकान में काम करते हैं। कुछ श्रमिकों को कुछ दिनों में अपने घरों में सिलाई के लिए कपड़ा ले जाने की अनुमति होती है। लेकिन यह हमेशा दुकान के मालिक की अनुमति से किया जाता है। दुकान में लगाई गई मशीनें दुकान के मालिक और उस परिसर और दुकान की होती हैं जिसमें दुकान का मालिक होता है।

जो काम चल रहा है वह भी उसी का है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने अंग्रेजी और अमेरिकी न्यायालयों के निर्णयों को इस प्रकार संदर्भित कियाः

काम करने का तरीका सार्वभौमिक रूप से सही नहीं है, कि सेवा के कई अनुबंध हैं जहां मास्टर उस तरीके को नियंत्रित नहीं कर सकता है जिसमें काम किया जाना है जैसा कि एक कप्तान के मामले में होता है। जहाज।

20. कई कुशल रोजगारों में, नियंत्रण की परीक्षा को लागू करने के लिए

सवाल तय करने के लिए काम करने का तरीका कि क्या

स्वामी और सेवक का संबंध अवास्तविक होगा। 21. मॉन्ट्रियल बनाम। मॉन्ट्रियल लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड आदि। [(1947) 1 डी. एल. आर. 161 पी. 1969] लॉर्ड राइट ने कहा कि एक एकल परीक्षण, जैसे कि नियंत्रण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, पर अक्सर यह निर्धारित करने के लिए भरोसा किया जाता था कि क्या मामला स्वामी और सेवक का था, ज्यादातर स्वामी की ओर से यातनापूर्ण दायित्व के मुद्दों को तय करने के लिए या

बेहतर और आधुनिक [2020] 9 एस. सी. आर. की अधिक जटिल परिस्थितियों में।

उद्योग में, अधिक जटिल परीक्षणों को अक्सर लागू करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक जटिल परीक्षण लागू करना अधिक उपयुक्त होगा जिसमें शामिल हैं: (i) नियंत्रण; (ii) उपकरणों का स्वामित्व; (iii) लाभ की संभावना; (iv) नुकसान का जोखिम, और यह नियंत्रण अपने आप में हमेशा निर्णायक नहीं होता है। उन्होंने उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में इस प्रश्न का समाधान केवल विभिन्न तत्वों की जांच करके किया जा सकता है जो पक्षों के बीच संबंधों का गठन करते हैं।

" ..... नौकर होने की परीक्षा आजकल आदेशों के अधीनता पर निर्भर नहीं करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति हिस्सा है या नहीं। और संगठन का अंश "।

23. यू. एस. वी. सिल्क [331 यू. एस. 704] सवाल यह था कि क्या वादी, सिल्क और ग्रेवन के लिए काम करने वाले पुरुष, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 में उस शब्द के अर्थ के भीतर 'कर्मचारी' थे। यू. एस. ए. के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की परीक्षण लागू किया जाना है, हालांकि तथ्यों पर इसके लागू होने पर हर मामले में नहीं। उन्होंने कहा कि परीक्षण "सामान्य कानून परीक्षण" नहीं था, अर्थात "नियंत्रण की शक्ति, चाहे प्रयोग की गई हो या नहीं, उपक्रम के लिए सेवा करने के तरीके पर", लेकिन क्या पुरुष "आर्थिक वास्तविकता के मामले में" कर्मचारी थे। महत्वपूर्ण कारकों को "नियंत्रण की डिग्री" कहा जाता था,

25. मार्केट इन्वेस्टिगेशंस लिमिटेड बनाम सामाजिक सुरक्षा मंत्री [(1968) 3 सभी ई. आर. 732] न्यायालय ने कहा: " मुझे लगता है कि यह कहना उचित है कि एक समय में एक विचारधारा थी जिसके अनुसार नियंत्रण की सीमा और स्तर

जिसे बी. कार्य के निष्पादन में ए. पर प्रयोग करने का हकदार था, वह एक निर्णायक कारक होगा। हालाँकि, यह लंबे समय से स्पष्ट है कि इस तरह के नियंत्रण की सीमा और डिग्री का विश्लेषण अपने आप में निर्णायक नहीं है।

26. यह कुशल और विशेष रूप से पेशेवर लोगों के लिए अपने अनुप्रयोग में है। अपने पारंपरिक रूप में परीक्षण को नियंत्रित करने वाला कार्य वास्तव में टूट गया है। यह कहा गया है कि "नियंत्रण" की व्याख्या में जिसका अर्थ है शक्ति सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

नौकर को अपना काम कैसे करना चाहिए, यह निर्देशित करने के लिए न्यायालय पिछली उम्र के अनुकूल एक अवधारणा को लागू कर रहा है।

" यह अंतर (अर्थात, एक नौकर को यह बताने के बीच कि उसे क्या करना है और उसे यह कैसे करना है) सामाजिक स्थितियों पर आधारित था।

यह माना जाता था कि श्रम का नियोक्ता मजदूर को निर्देश देने और निर्देश देने में सक्षम था कि उसे अपने काम को करने में किस तकनीकी तरीके का उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से कृषि समाज में और यहां तक कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआती चरणों में भी स्वामी से ज्ञान, कौशल और अनुभव में सेवक से श्रेष्ठ होने की उम्मीद की जा सकती थी, जिसे उपकरणों के चयन और संचालन पर वहन करना पड़ता था। नियंत्रण परीक्षण एक किसान और एक कृषि मजदूर (कृषि मशीनीकरण से पहले) एक कारीगर और एक यात्री, एक गृहस्थ और एक घरेलू नौकर, और यहां तक कि एक कारखाने के मालिक और एक अकुशल 'हाथ' के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। यह.

यह समाज की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तकनीकी ज्ञान और कौशल के पेशे के साथ मेल खाता है जिसमें वह ज्ञान और कौशल काफी हद तक अर्जित किया गया था। मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा रहा है न कि विश्वविद्यालयों से लेकर तकनीकी स्कूलों तक सीखने के संस्थानों में व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जा रहा है। नियंत्रण परीक्षण प्रबंधकीय और तकनीकी कार्यों के संयोजन का प्रतिपादन करता है।

नियोक्ता के व्यक्ति में अर्थात आधुनिक दृष्टि में श्रम का अपूर्ण विभाजन प्रतीत होता है। [प्रो. कान-फ्रायंड इन (1951), 14 मॉडर्न लॉ रिव्यू, पी। 505] "

परीक्षण। 28. आज यह अत्यधिक संदिग्ध है कि सेवा के लिए अनुबंध से सेवा के अनुबंध को बताने के लिए एकल परीक्षण की प्रकृति में एक सूत्र की खोज से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा या नहीं। सबसे अधिक लाभप्रद रूप से उन सभी कारकों की जांच की जा सकती है जिन्हें विषय पर मामलों में संदर्भित किया गया है। स्पष्ट रूप से, ये सभी कारक इन सभी मामलों में प्रासंगिक नहीं होंगे या

सभी मामलों में समान वजन। यह समान रूप से स्पष्ट है कि कोई जादू सूत्र प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, किन कारकों को किसी भी मामले में निर्धारक के रूप में माना जाना चाहिए। सच तो यह है कि बड़ी संख्या में मामलों में, न्यायालय केवल [2020] 9 एस. सी. आर. वजन का एक संतुलन संचालन कर सकता है।

उन कारकों को ऊपर उठाएँ जो एक दिशा में इंगित करते हैं और उन्हें विपरीत दिशा में इंगित करने वालों के खिलाफ संतुलित करते हैं [अतियाह, पीएस देखें। " टॉर्ट्स के कानून में विकेरियस लायबिलिटी ", पीपी। 37-38] .

29. पिछले दो दशकों के दौरान इस क्षेत्र में जोर बदल गया है और अब नियंत्रण के सवाल पर इतना जोर नहीं दिया गया है। नियंत्रण स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है और कई मामलों में यह अभी भी निर्णायक कारक हो सकता है। लेकिन यह कहना गलत है कि हर बार मामला निर्णायक है। यह अब एक कारक से अधिक नहीं है, हालांकि एक महत्वपूर्ण है [अर्जेंटीना बनाम देखें। सामाजिक सुरक्षा मंत्री और

एक और, (1968) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1749 पर 1759]।

अंततः, न्यायालय ने पाया कि दो महत्वपूर्ण विचारों ने यह निर्णय लेने के पक्ष में मुद्दा खड़ा कर दिया कि नियोजित व्यक्ति पूरी तरह से या मुख्य रूप से राज्य के व्यवसाय के संबंध में कार्यरत थे।

दुकान। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जिन मशीनों पर सिलाई की जाती थी, उनकी आपूर्ति दुकान के मालिक द्वारा की जाती थी। और, दूसरी बात, सिलाई व्यवसाय की शर्तों में पर्यवेक्षण और नियंत्रण में उप मानक कार्य को अस्वीकार करने का अधिकार शामिल होगा। इन कारकों को इस तथ्य से अधिक माना गया था कि ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से दुकान के मालिक के लिए काम नहीं करना पड़ता था और साथ ही वे पूरे दिन काम करने के लिए बाध्य नहीं होते थे।

18. हुसैनभाई बनाम। अलाथ फैक्ट्री थेझिलाली यूनियन (1978) 4 एस. सी. सी. 257, इस न्यायालय का सामना उन व्यक्तियों से किया गया था जो इस कार्य में लगे हुए हैं। एक कारखाने के भीतर से रस्सियाँ बनाते हैं जो रस्सियाँ बनाते हैं। अदालत के समक्ष जो तर्क दिया गया था वह यह था कि कर्मचारी नियोक्ता के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि केवल ठेकेदार के कर्मचारी थे। विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर "श्रमिक" हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसे व्यक्ति "श्रमिक" हैं, इस निर्णय द्वारा लागू परीक्षण इस प्रकार थाः

" 5. सही परीक्षण, संक्षिप्तता के साथ, एक बार फिर से इंगित किया जा सकता है। जहां कोई कर्मचारी या श्रमिकों का समूह वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए श्रम करता है और ये वस्तुएं या सेवाएं दूसरे के व्यवसाय के लिए हैं, वह दूसरा वास्तव में नियोक्ता है। श्रमिकों के निर्वाह, कौशल और निरंतर रोजगार पर उनका आर्थिक नियंत्रण है। यदि वह, किसी भी कारण से, घुट जाता है, तो कर्मचारी को वस्तुतः नौकरी से निकाल दिया जाता है। मध्यवर्ती ठेकेदारों की उपस्थिति जिनके साथ अकेले श्रमिक होते हैं

तत्काल या प्रत्यक्ष संबंध है जो पूर्व अनुबंध का नहीं है इसका परिणाम यह होता है कि जब हम पर्दा उठाते हैं या रोजगार को नियंत्रित करने वाले कारकों को देखते हैं, तो हम नग्न सत्य, सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम को समझते हैं।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हालांकि अलग-अलग सही कागजी व्यवस्था में लपेटा गया है, कि वास्तविक नियोक्ता प्रबंधन है, न कि तत्काल ठेकेदार। असंख्य उपकरण, कानूनी रूप की तह के बाद तह में आधे छिपे हुए, छिपाने की आवश्यकता की डिग्री के आधार पर,

उद्योग, स्थानीय स्थितियों और इसी तरह का सहारा तब लिया जा सकता है जब श्रम कानून वास्तविक नियोक्ता पर कल्याणकारी दायित्व डालता है। संविधान के अनुच्छेद 38,39,42,43 और 43-ए पर आधारित। अदालत को शरारत से बचने और कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चतुर होना चाहिए और कानूनी उपस्थिति की माया से गुमराह नहीं होना चाहिए।

इस परीक्षण को लागू करते हुए, कर्मचारी के निर्वाह, कौशल और निरंतर रोजगार पर नियोक्ता के नियंत्रण की आर्थिक वास्तविकता ने इंगित किया

ऐसे व्यक्ति जो मालिक के प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं।

व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 2 के अर्थ में "कर्मचारी" हैं। एक्ट करें।

21. भारतीय बैंक एसोसिएशन में। वी. सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी

(2001) 3 एस. सी. सी. 36, इस न्यायालय ने रजत जयंती (उपर्युक्त) का उल्लेख करने के बाद पाया कि निर्दिष्ट बैंकों द्वारा नियोजित जमा संग्रहकर्ता श्रमिकों के रूप में माने जाने के हकदार थे। अदालत ने कहाः

" 26. हम इस दलील को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि जमा संग्रहकर्ताओं पर बैंकों का कोई नियंत्रण नहीं है। निस्संदेह, जमा संग्राहक अपने काम के घंटों को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह काम की प्रकृति के कारण है। ऐसे जमा संग्रहकर्ताओं के लिए काम के घंटे तय करना असंभव होगा क्योंकि उनके पास [2020] 9 एस. सी. आर. हैं।

विभिन्न जमाकर्ताओं के पास जाना। यह करना होगा

जमाकर्ताओं की सुविधा और ऐसे समय पर जब आवश्यक हो

जमाकर्ताओं। यदि ऐसा है तो इसके लिए कोई समय तय नहीं किया जा सकता है।

काम करते हैं। हालांकि, जमा संग्रहकर्ताओं के रूप में नियंत्रण है संग्रह लाना होगा और उसे बैंकों में जमा करना होगा

अगले दिन। फिर उन्हें विभिन्न प्रपत्र, खाते भरने होते हैं,

रजिस्टर और पासबुक। उन्हें इस तरह के अन्य लिपिक भी करने होते हैं। जैसा बैंक निर्देशित कर सकता है वैसा कार्य करें। अतः वे उत्तरदायी हैं -

बैंक और बैंक के नियंत्रण में।

22. इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम। कामगार (2006) 3 एस. सी. सी. 729,

सवाल यह था कि क्या वे बैंक जिनके लिए रत्न मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया गया था औद्योगिक की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर "श्रमिक" थे

यह अधिनियम है। भारतीय बैंक के मामले (ऊपर) में अंतर करने के बाद, इस टी ने धरंगधारा (ऊपर), रजत जयंती (ऊपर), दर्जी (ऊपर) और चिंतामन राव (ऊपर) का उल्लेख किया और फिर कहाः

" 17. उन निर्णयों को पढ़ने से निष्कर्ष निकाले गए इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(a) जहां ठेकेदार काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार थे

मुख्य और एकमात्र व्यवसाय, उन्हें श्रमिकों के रूप में माना जाएगा।

ठेकेदारों को श्रमिकों के रूप में नहीं माना जाएगा। (ग) जहाँ ठेकेदार माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में है और

सेवाएँ, उन्हें आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के रूप में माना जाना चाहिए और नहीं

मजदूर।

18. इस मोड़ पर रत्न मूल्यांकनकर्ताओं और के बीच अंतर

बैंक के नियमित कर्मचारियों का उल्लेख किया जा सकता है।

आभूषण मूल्यांकनकर्ता

नियमित कर्मचारी

1. योग्यता के अधीन और	1 .
	नहीं।
निर्धारित आयु।	
	योग्यता/आयु।
2. सीधा जुड़ाव	
	2. के माध्यम से भर्ती
नौकरीपेशा	
	स्थानीय प्रबंधक द्वारा।
विनिमय/बैंकिंग सेवा	
भर्ती बोर्ड।	
	3. कोई निश्चित कार्य नहीं
3. काम के निश्चित घंटे।	
	घंटे।
4. मासिक वेतन।	
	4. कोई गारंटी नहीं
	केवल
	भुगतान,
	कमीशन का भुगतान
किया।	
5. कोई अनुशासन नहीं	
5. अनुशासन के अधीन	
	नियंत्रण करें।
नियंत्रण करें।	

सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

6. नियंत्रण/पर्यवेक्षण है

6 .

कोई नियंत्रण नहीं /

इसका प्रयोग न केवल कार्य के आवंटन के संबंध में किया जाता है, बल्कि जिस तरह से कार्य किया जाना है, उसके संबंध में भी किया जाता है।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर पर्यवेक्षण।

7. शुल्क का भुगतान किया जाता है

7. मजदूरी का भुगतान किया जाता है

उधारकर्ताओं को।

बैंक।

8. सेवानिवृत्ति की आयु।

8. सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है।

9. स्थानांतरण के अधीन।

9. कोई स्थानांतरण नहीं।

10. नौकरी में रहते हुए

10. जारी रखने के लिए कोई बार नहीं है

कोई भी कार्य या

किसी और को जारी नहीं रख सकते

पेशा।

पेशा।

[इसलिए रत्न मूल्यांकनकर्ता बैंक के कर्मचारी नहीं हैं।]

23. इस स्तर पर, काफी हाल के फैसले का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है

ई बनाम में अंग्रेजी अपील न्यायालय। अवर लेडी हैरिटी और एनआर का अंग्रेजी प्रांत। 2012 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 938। उपरोक्त मामले में, ए

इस बारे में आया कि क्या रोमन कैथोलिक चर्च होगा

हर्जाने के लिए लाए गए दावे में जानबूझकर उत्तरदायी है कि एक महिला,

वह एक रोमन द्वारा संचालित बाल गृह में रहती थी।

ननों का अश्लील आदेश, एक नियुक्त पादरी द्वारा यौन शोषण किया गया था

ई बिशप बिशप। उप-शीर्षक के तहत "द हॉलमार्क ऑफ द

नियोक्ता और कर्मचारी की नियुक्ति "अदालत ने विभिन्न को संदर्भित किया

अंग्रेजी निर्णय और परीक्षण निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

कर्मचारी और स्वतंत्र के बीच के अंतर पर निर्भर करता है ठेकेदार। अगर, जैसा कि मेरा मानना है, पकड़ने का प्रयास करना आवश्यक है

इसका सार क्या है जो एक आदमी को एक कर्मचारी बनाता है, मुझे चाहिए

उन अंतरों की अधिक विस्तार से जाँच करें। आम तौर पर, एक

कर्मचारी अपनी देखरेख और निर्देशन में काम करता है नियोक्ता: एक स्वतंत्र ठेकेदार उसका अपना मालिक होता है जो उससे बंधा होता है

उसका अनुबंध लेकिन उसके नियोक्ता के आदेश से नहीं। एक कर्मचारी काम करता है। अपने नियोक्ता के लिए: एक स्वतंत्र ठेकेदार अपने व्यवसाय में है

अपना खाता। तैयार मिश्रित कंक्रीट (दक्षिण पूर्व) लिमिटेड बनाम

पेंशन और राष्ट्रीय बीमा मंत्री [1968] 2 क्यूबी 497 (एक मामला जिसे मैं ईर्ष्या के साथ देखता हूं, अदालत में छह दिनों तक रहा।

कुछ दिन जब हमें केवल एक की अनुमति थी), मैककेना जे ने कहा, पी पर 515 , कि एक सेवा अनुबंध मौजूद है यदि ये तीन शर्तें हैं

पूरा हुआ:

" (i) नौकर इस बात से सहमत है कि, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के विचार में, वह अपने काम और कौशल को प्रदान करेगा।

अपने स्वामी के लिए कुछ सेवा का प्रदर्शन। ((ii) वह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमत है कि उस सेवा के निष्पादन में वह

उस दूसरे मास्टर को बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूसरों के नियंत्रण के अधीन होगा। (iii) अनुबंध के अन्य प्रावधान इसके सेवा अनुबंध होने के अनुरूप हैं।

उन्होंने विस्तार से कहाः

" नियंत्रण में यह तय करने की शक्ति शामिल है कि क्या किया जाना है, यह किस तरह से किया जाना है, इसे करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाना है, यह कब और कहाँ किया जाना है। नियंत्रण के इन सभी पहलुओं पर यह तय करने में विचार किया जाना चाहिए कि क्या अधिकार एक पक्ष को स्वामी और दूसरे को अपना सेवक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।

बाद में, पृष्ठ 524 पर, उन्होंने लॉर्ड थैंकर्टन के सेवा अनुबंध के "चार संकेत" पर टिप्पणी की, जो लघु बनाम जे एंड डब्ल्यू हेंडरसन लिमिटेड में कहा गया था।

(1946) 62 टी. एल. आर. 427,429 होगाः " (क) अपने सेवक के चयन की स्वामी की शक्ति; (ख) मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान; (ग) कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करने का स्वामी का अधिकार; और (घ) स्वामी का निलंबन या बर्खास्तगी का अधिकार। मैककेना जे ने कहाः

" मुझे ऐसा लगता है कि (ए) और (डी) यह निर्धारित करने में मुख्य रूप से प्रासंगिक हैं कि क्या कथित के बीच किसी भी प्रकार का अनुबंध है। स्वामी और सेवक, और यह कि वे यह निर्धारित करने में बहुत कम उपयोगी हैं कि अनुबंध सेवा का है या नहीं। यही बात (ख) के बारे में भी लागू होती है, जब तक कि कोई भुगतान के विभिन्न तरीकों, स्वतंत्रता साबित करने के लिए प्रवृत्त परिणामों द्वारा भुगतान और समय के अनुसार स्वामी और सेवक के संबंध के बीच अंतर नहीं करता है।

65. यह नियंत्रण को एक महत्वपूर्ण विशिष्ट कारक के रूप में छोड़ देता है। ड्राइवर के बीच के अंतर का उदाहरण अक्सर दिया जाता है।

और टैक्सी चालक लेकिन यह हमेशा उतना आसान नहीं होता है। जैसे-जैसे समय बदला है, नियंत्रण एक अवास्तविक मार्गदर्शक बन गया है। यह तब अधिक सार्थक हुआ होगा जब श्रमिकों द्वारा उन नियोक्ताओं के निर्देशन में काम किया जाता था जिनके पास अपने श्रमिकों की तुलना में समान या अधिक तकनीकी कौशल थे। अब कि एक अक्सर है

किसी पेशेवर व्यक्ति या किसी विशेष कौशल और अनुभव वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, उदाहरण के लिए एक मस्तिष्क सर्जन, कोई सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम नहीं हो सकता है।

आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सच तो यह है कि कुशल व्यक्ति इस कारण से लगा हुआ है कि उसके पास ऐसे कौशल हैं जिनकी नियोक्ता में कमी है। इस प्रकार नियंत्रण पर जोर कम हो गया है। जैसा कि रोसकिल जे ने अर्जेंटीना बनाम सामाजिक सुरक्षा मंत्री [1968] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1749,1758-1759 में कहाः " पहले के मामलों में यह सुझाव दिया गया प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण, यदि सर्व-महत्वपूर्ण परीक्षण नहीं था, तो नौकर पर नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए नियंत्रण की सीमा थी। अगर एक

इस शताब्दी के पहले दशक के कुछ मामलों पर वापस जाते हैं, कोई यह देखता है कि इसे लगभग निर्णायक परीक्षण माना जाता था। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस सदी के पहले 60 वर्षों में कानून के विकास को देखा जा रहा है और विशेष रूप से

इस क्षेत्र में पिछले 15 या 20 वर्षों में कानून का विकास, जोर स्थानांतरित हो गया है और अब इस पर इतनी दृढ़ता से निर्भर नहीं है

नियंत्रण का प्रश्न। नियंत्रण स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ मामलों में यह अभी भी निर्णायक कारक हो सकता है, लेकिन यह कहना गलत है कि हर मामले में यह निर्णायक कारक है। अब, जैसा कि मैं सोचने का साहस करता हूं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होने के बावजूद एक कारक से अधिक नहीं है।

रोसकिल जे का परीक्षण पृष्ठ 1760 पर थाः

" अंत में हाल ही में यह सुझाव दिया गया है कि इस मामले को उस संदर्भ से निर्धारित किया जा सकता है जिसे आधुनिक भाषा में आर्थिक वास्तविकता कहा जाता था। ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से, कोई भी निर्णायक नहीं है। साक्ष्य की समग्रता, पाए गए तथ्यों की समग्रता को देखना होगा और फिर उन्हें क़ानून की भाषा में लागू करना होगा। कैसिडी बनाम मंत्रालय में सोमरवेल एलजे के शब्दों को प्रतिध्वनित करने से बेहतर कोई नहीं हो सकता है।

जे. रोसकिल ने डेनिंग एलजे के व्यक्त किए गए विचारों का भी उल्लेख किया स्टीवेन्सन जॉर्डन एंड हैरिसन लिमिटेड बनाम मैकडोनाल्ड एंड

इवांस [1952] 1 टीएलआर 101,111 और बैंक वूर हैंडेल

एनशेपवार्ट एन. वी. बनाम स्लैटफोर्ड (नंबर 2) [1953] 1 क्यू. बी. 248, 295. पूर्व डेनिंग में एलजे ने कहाः

" एक विशेषता जो उदाहरणों के माध्यम से चलती प्रतीत होती है, वह यह है कि, सेवा के अनुबंध के तहत, एक व्यक्ति को व्यवसाय के हिस्से के रूप में नियुक्त किया जाता है, और उसका काम व्यवसाय के एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है; [2020] 9 एस. सी. आर.

जबकि, सेवाओं के लिए एक अनुबंध के तहत, उनका काम, हालांकि व्यवसाय के लिए किया जाता है, इसमें एकीकृत नहीं है, बल्कि केवल सहायक है

यह। "

67. हालाँकि, ली टिंग सांग मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह सहायता [1990] 2 एसी 374,382 दीः

" फिर लागू करने के लिए मानक क्या है? यह एक सबसे मायावी सवाल साबित हुआ है और अधिकारियों की अधिकता के बावजूद अदालतें एक भी परीक्षण तैयार नहीं कर पाई हैं जो निर्णायक रूप से सभी मामलों में अंतर की ओर इशारा करे। उनके लॉर्डशिप अपील न्यायालय से सहमत हैं जब उन्होंने कहा कि मामले को मार्केट इन्वेस्टिगेशंस लिमिटेड बनाम में कुक जे द्वारा रखे गए मामले से बेहतर कभी नहीं था। सामाजिक सुरक्षा मंत्री [1969] 2 क्यू. बी. 173,184-185: ' लागू करने के लिए मौलिक परीक्षण यह हैः " क्या वह व्यक्ति जिसने इन सेवाओं को करने के लिए खुद को लगाया है, वह अपने खाते में व्यवसाय में एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहा है? यदि उस प्रश्न का उत्तर "हाँ" है, तो अनुबंध सेवाओं के लिए एक अनुबंध है। यदि उत्तर "नहीं" है, तो अनुबंध सेवा का अनुबंध है। कोई विस्तृत सूची संकलित नहीं की गई है और शायद इनमें प्रासंगिक विचारों की कोई विस्तृत सूची संकलित नहीं की जा सकती है।

उस प्रश्न का निर्धारण करना, और न ही इसके बारे में सख्त नियम निर्धारित किए जा सकते हैं

सेवाओं का निष्पादन अपने स्वयं के उपकरण प्रदान करता है, चाहे वह अपने स्वयं के सहायकों को काम पर रखता हो, वह किस स्तर का वित्तीय जोखिम लेता है, निवेश और प्रबंधन के लिए उसके पास किस स्तर की जिम्मेदारी है, और क्या और उसके पास अपने कार्य के निष्पादन में ठोस प्रबंधन से लाभ उठाने का अवसर है। " 68. इससे पहले का प्रिवी काउंसिल का मामला, मॉन्ट्रियल बनाम मॉन्ट्रियल लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड [1947] 1 डी. एल. आर. 161 है।

जहाँ लॉर्ड राइट ने पृष्ठ 169 पर कहाः

" पहले के मामलों में एक एकल परीक्षण, जैसे कि नियंत्रण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, पर अक्सर यह निर्धारित करने के लिए भरोसा किया जाता था कि क्या मामला स्वामी और सेवक का था, ज्यादातर स्वामी या वरिष्ठ की ओर से यातनापूर्ण दायित्व के मुद्दों को तय करने के लिए। आधुनिक उद्योग की अधिक जटिल परिस्थितियों में, अधिक जटिल परीक्षण सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कुछ मामलों में अधिक उपयुक्त होगा, एक जटिल शामिल है (1) नियंत्रण; (2) उपकरणों का स्वामित्व; (3) लाभ की संभावना; (4) हानि का जोखिम। नियंत्रण अपने आप में हमेशा निर्णायक नहीं होता है।

उन्होंने आगे कहा किः

" कुछ मामलों में इस मुद्दे को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उठाकर या दूसरे शब्दों में पूछकर तय करना संभव है।

क्या पार्टी व्यवसाय चला रही है, के अर्थ में

इसे अपने लिए या अपनी ओर से ले जाना और न केवल इसके लिए

एक वरिष्ठ "।

69. कोई एकल परीक्षण नहीं होने के कारण, मार्शल को क्या करना है

विभिन्न परीक्षण जो संचयी रूप से एक की ओर इंगित करना चाहिए

नियोक्ता/कर्मचारी संबंध या एक से दूर। उस दृष्टिकोण को अपनाना उस बात की पुष्टि करता है जिसे सामान्य आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात्, कि फादर बाल्डविन एक सच्चे कर्मचारी नहीं हैं। यह परीक्षण अभी भी यह देखने के लिए उपयोगी हो सकता है कि क्या उसे एक स्वतंत्र ठेकेदार कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वह है, तो कानून स्पष्ट हैः नियोक्ता अपने स्वतंत्र ठेकेदार के अत्याचारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। मैं हूँ।

संतुष्ट हैं कि फादर बाल्डविन अब सच्चे स्वतंत्र नहीं हैं

ठेकेदार से अधिक वह एक कर्मचारी है। शुरुआत में, उनका अपने बिशप के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। वह शायद ही अपने खाते से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, जिसके पास नौकरी है तो उसे करने की स्वतंत्रता है, जब भी वह चाहे।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि चर्च परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगा, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 81. प्रत्येक परीक्षण का परिणाम मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि फादर बाल्डविन एक स्वतंत्र ठेकेदार की तुलना में एक कर्मचारी की तरह हैं। वह अपने बिशप के साथ एक संबंध में है जो नियोक्ता/कर्मचारी के काफी करीब है और इसलिए समान है ताकि प्रत्यावर्ती दायित्व को लागू करना न्यायसंगत और उचित हो। न्याय और निष्पक्षता का उपयोग यहाँ निष्कर्ष पर एक हितकारी जाँच के रूप में किया जाता है। यह अकेले परीक्षा नहीं है।

एक निष्कर्ष के लिए। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह एक उचित संतुलन बनाता है।

नियोक्ता पर कठोर दायित्व अधिरोपित करने के अन्याय के बीच और नियोक्ता द्वारा अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करने से हुए नुकसान के लिए पूरी तरह से उपचार के बिना उसे छोड़ने के लिए पीड़ित के साथ अन्याय, जिसने उस नुकसान को जन्म दिया, भले ही नुकसान का जोखिम उचित रूप से पूर्वानुमेय न हो। "[2020] 9 एस. सी. आर.

पेशेवर जो नियोजित हो सकते हैं। ऐसे मामलों के बीच कई प्रकार के मामले आते हैं जो स्पष्ट हैं-उदाहरण के लिए, एक स्कूल में एक मास्टर जो स्कूल के अन्य कर्मचारियों की तरह काम करता है और जो अपने रोजगार के हिस्से के रूप में संगीत की शिक्षा देता है, जबकि एक स्वतंत्र पेशेवर पियानो वादक जो उसके परिसर में आने वाले व्यक्तियों को संगीत की शिक्षा देता है। समान रूप से, एक जहाज के मालिक, एक चालक और एक कर्मचारी रिपोर्टर के बीच कई मामले सामने आते हैं, जैसे कि एक जहाज के पायलट, एक टैक्सी चालक और एक समाचार पत्र में योगदानकर्ता के खिलाफ, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नियोजित व्यक्ति को एक कर्मचारी या एक स्वतंत्र पेशेवर कहा जा सकता है। कब और कैसे काम करना है, इसके वास्तविक नियंत्रण से दूर जाने के बाद नियंत्रण परीक्षण नियंत्रण का प्रयोग करने के अधिकार के लिए प्रदर्शन, उन कारकों की एक श्रृंखला में से एक है जो इस तरह के मामले को दर्ज करने वाले मामले के तथ्यों पर जवाब दे सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के मामलों में लागू करने के लिए पर्याप्त लोचदार। जिन परिसंपत्तियों के साथ काम किया जाना है, उनका मालिक कौन है और/या अंततः कौन है, इसका परीक्षण लाभ या हानि अर्जित करता है ताकि कोई यह निर्धारित कर सके कि कोई व्यवसाय नियोक्ता के लिए चलाया जा रहा है या अपने स्वयं के खाते पर, यह एक और महत्वपूर्ण परीक्षा है जब स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले काम की बात आती है, तो टुकड़ों में काम करने वाले मजदूरों के मुकाबले। इसके अलावा, अमेरिकी निर्णयों द्वारा निर्धारित आर्थिक वास्तविकता परीक्षण और यह परीक्षण कि क्या नियोक्ता का श्रमिकों के निर्वाह, कौशल और निरंतर रोजगार पर आर्थिक नियंत्रण है, यह भी तब लागू किया जा सकता है जब यह बात आती है कि कोई विशेष कर्मचारी अपने लिए काम करता है या अपने नियोक्ता के लिए। प्रिवी काउंसिल द्वारा ली टिंग सांग बनाम में निर्धारित परीक्षण। चुंग ची-केउंग [1990] 2 ए. सी. 374, अर्थात्, सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी बनाम।

जिस व्यक्ति ने अपने खाते से व्यवसाय में एक व्यक्ति के रूप में सेवाएँ करने के लिए खुद को लगाया है, वह भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, इस बार नियोजित व्यक्ति के दृष्टिकोण से, सही समाधान पर पहुंचने के लिए। सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई भी परीक्षण कभी भी सही परिणाम नहीं दे सकता है। यह किसी दिए गए मामले में तथ्य स्थिति की समग्रता पर किए गए सभी लागू परीक्षणों का एक समूह है जो अंततः परिणाम देगा, विशेष रूप से एक जटिल संकर स्थिति में, चाहे वह अनुबंध सेवा का अनुबंध हो या सेवा के लिए अनुबंध। प्रत्येक मामले की तथ्य स्थिति के आधार पर, सभी उपरोक्त कारक आवश्यक रूप से प्रासंगिक नहीं होंगे, या यदि प्रासंगिक हों, तो उन्हें समान महत्व नहीं दिया जाएगा। अंततः, न्यायालय केवल उन सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलनकारी कार्य कर सकता है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में इंगित करते हैं।

25. इस तथ्य को देखते हुए कि यह संतुलन प्रक्रिया अक्सर सफल नहीं हो सकती है

संकर स्थितियों में एक स्पष्ट परिणाम, जिस संदर्भ में एक खोज की जानी है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यदि संदर्भ समाज के कमजोर वर्गों पर लागू होने वाले लाभकारी कानूनों में से एक है, तो संतुलन झुक जाता है।

अनुबंध को सेवा का घोषित करने का पक्ष, जैसा कि धरंगधारा (ऊपर), बर्धीचंद (ऊपर), D.C.Dewan (ऊपर), रजत जयंती (ऊपर), हुसैनभाई (ऊपर), शाइनिंग टेलर्स (ऊपर), पी. एम. पटेल (ऊपर), और भारतीय बैंक (ऊपर) में किया गया था। दूसरी ओर, जहां संदर्भ लाभकारी विधान के अलावा या केवल अनुबंध के क्षेत्र में अन्य विधान का है, और उस विधान या अनुबंध का संदर्भ संबंध के सेवा के लिए अनुबंध होने की दिशा में इंगित करेगा, तो अन्य चीजें समान होने पर, संदर्भ तब संतुलन को अनुबंध के पक्ष में झुका सकता है जिसे सेवा के लिए माना जा रहा है।

26. इस दृष्टि से देखते हुए, आइए अब हम समझौते की जांच करें

डॉ. अल्पेश गांधी और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच। कारक हैं। जिसके कारण अनुबंध सेवा के लिए एक हो जाएगा, निम्नानुसार गिना जा सकता है:

((i)

अनुबंध के शीर्षक में ही कहा गया है कि यह एक अनुबंध है

सेवा के लिए।

डॉ. गांधी का पदनाम एक मानद नेत्र रोग है।

((ख)

सर्जन।

(111) इसके विपरीत 4000 रुपये प्रति माह को मानदेय घोषित किया गया है।

वेतन के लिए।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv)

आई. एन. आर. 4000 प्रति माह के अलावा, डॉ. गांधी को एक लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

ओ. पी. डी. से उत्तरदाता संख्या 3 की कमाई का प्रतिशत, अस्पताल में भर्ती होने के संचालन शुल्क घटक

बिल, और कमरे में जाने का शुल्क।

मध्यस्थता खंड जो उत्पन्न होने वाले विवादों की बात करता है

(v)

इस अनुबंध के कार्यकाल को संस्थान की प्रबंध समिति को भेजा जाएगा,

प्रबंध समिति का अंतिम होना भी एक ऐसा खंड है जो एक शुद्ध स्वामी-सेवक संबंध में असामान्य है।

(vi) यह तथ्य कि नियुक्ति संविदात्मक है-3 साल के लिए-और केवल आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है, इस तथ्य का एक और संकेत है कि अनुबंध सेवा के लिए है, जो कि कार्यकाल है।

आधारित है।

(vii) यह तथ्य कि अनुबंध की समाप्ति दोनों पक्षों की ओर से सूचना द्वारा हो सकती है, यह फिर से दिखाएगा कि पक्ष सौदे कर रहे हैं।

एक-दूसरे के साथ स्वामी-सेवक की तुलना में अधिक बराबर हैं।

(viii) समझौते के खंड 11 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डॉ. गांधी की पहले की गई नियुक्ति इस अनुबंध के अस्तित्व में आने के साथ ही समाप्त हो जाएगी, डॉ. गांधी अब संस्थान के नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहेंगे। 27. उपरोक्त कारकों के विपरीत जो इंगित करेंगे

अनुबंध सेवा के लिए एक अनुबंध होने के कारण, निम्नलिखित कारक

डी विपरीत दिशा में बिंदुः

((i)

नौकरी पूर्णकालिक है। डॉ. गांधी और कुछ नहीं कर सकते। कार्य, और डॉ. गांधी द्वारा खंड IV के तहत किए जाने वाले सात प्रकार के कार्यों के अलावा, कोई अन्य कार्य जो समय के साथ बनाया जा सकता है, वह भी हो सकता है -

उसे नियोक्ता के विवेक पर सौंपा गया।

((ख)

छुट्टियाँ जो उसे नियोक्ता द्वारा दी जाती हैं। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि समय-समय पर प्रचलित संस्थान के छुट्टी नियमों द्वारा शासित, डॉ. गांधी किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे जो संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं। खंड V के तहत।

(iii)

डॉ. गांधी के आचरण नियमों द्वारा शासित किया जाएगा

समय-समय पर और लागू होने पर संस्थान

संस्थान के नियमित कर्मचारी।

((iv) अनुशासनहीनता या विश्वासघात के सिद्ध मामले की स्थिति में, संस्थान के पास कोई भी मुआवजा दिए बिना किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

28. यदि उपरोक्त कारकों को तराजू में तौला जाता है, तो यह स्पष्ट है कि जो कारक अनुबंध को सेवा के लिए एक बनाते हैं, वे तुलना में अधिक हैं

सेवा, और यह कि अनुबंध शुरू होने की तारीख से, डॉ. गांधी अब संस्थान के एक नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं रहेंगे, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी सेवाएं अब एक नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र पेशेवर के रूप में हैं। दूसरा, पारिश्रमिक है मानदेय के रूप में वर्णित, और इस स्थिति के अनुरूप कि डॉ. गांधी अपने आप में संस्थान में काम करने वाले एक स्वतंत्र पेशेवर हैं, उन्हें लूट का एक हिस्सा मिलता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। तीसरा, वह समान शर्तों पर समझौते में प्रवेश करता है क्योंकि समझौते के लिए है

तीन साल, केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। चौथा, उनकी सेवाओं को संस्थान के अन्य नियमित कर्मचारियों के सामान्य तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ से नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह तथ्य कि डॉ. गांधी संस्थान पर पूर्णकालिक ध्यान देंगे, टुकड़ों में किए गए कार्य का विपरीत पक्ष है, जो, जैसा कि ऊपर दिए गए कुछ निर्णयों में कहा गया है, अभी भी एक तटस्थ कारक होने के कारण सेवा अनुबंध के बराबर हो सकता है। इसी तरह, यह तथ्य कि डॉ. गांधी को संस्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अनुबंध सेवा के अन्य सभी कारकों में से एक है। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कहना आवश्यक है कि डॉ. गांधी संस्थान के आचरण नियमों और छुट्टी नियमों द्वारा शासित होंगे, लेकिन किसी अन्य नियम द्वारा नहीं। और भले ही छुट्टी नियम डॉ. गांधी पर लागू होते हैं, क्योंकि वे एक नियमित कर्मचारी नहीं हैं, वे किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं हैं जैसा कि अन्य नियमित कर्मचारियों पर लागू हो सकता है। समान रूप से, डॉ. गांधी और संस्थान की प्रबंध समिति को भेजे जाने वाले संस्थान के बीच विवादों के मध्यस्थता से पता चलेगा कि कि उन्होंने अनुबंध में स्वामी और सेवक के रूप में नहीं बल्कि नियोक्ता और स्वतंत्र पेशेवर के रूप में प्रवेश किया है। उपरोक्त सभी का अवलोकन निश्चित रूप से आर्थिक वास्तविकता [2020] 9 एस. सी. आर. को लागू करते हुए निष्कर्ष की ओर ले जाएगा।

कि पक्षों के बीच किया गया अनुबंध दोनों के बीच एक है।

स्वतंत्र और एक स्वतंत्र पेशेवर। 29. अन्यथा भी, यह अच्छी तरह से तय है कि बीमा अनुबंधों में देयता की छूट को अस्पष्टता के मामले में माना जाना चाहिए।

एक प्रोफेरेंटम। इस प्रकार, जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड v.

दुमुल जैन (1966) 3 एस. सी. आर. 500, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" बीमा का अनुबंध वाणिज्यिक लेन-देन की एक प्रजाति है और एक उचित प्रस्ताव के पूरा होने से पहले या प्रस्ताव पर विचार किए जाने या पॉलिसी के वितरण की तैयारी के दौरान भी कवर नोट भेजने की एक अच्छी तरह से स्थापित वाणिज्यिक प्रथा है। अन्य मामलों में ए के बीच कोई अंतर नहीं है

बीमा का अनुबंध और कोई अन्य अनुबंध सिवाय इसके कि बीमा के अनुबंध में उबेर्रिमा फिडेस की आवश्यकता होती है

अर्थात बीमाकृत की ओर से सद्भावना और अनुबंध को कंपनी के खिलाफ माना जा सकता है।

अस्पष्टता या संदेह के मामले में "।

30. इस निर्णय को यूनाइटेड इंडिया रेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। पुष्पालय प्रिंटर्स (2004) 3 एस. सी. सी. 694 वीएसः

" 6. विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या बीमा पॉलिसी के खंड 5 में निहित "प्रभाव" शब्द ड्राइविंग के कारण भवन और मशीनरी को हुए नुकसान को कवर करता है। इमारत के पास सड़क पर बुलडोजर का। बीमा पॉलिसी की शर्तों से यह स्पष्ट है कि संपत्ति का संपूर्ण या आंशिक रूप से विनाश या क्षति के खिलाफ बीमा किया गया था। अपीलार्थी कंपनी विभिन्न घटनाओं के कारण अपने दायित्व की सीमा तक बीमित संपत्ति के विनाश या क्षति के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हुई। वर्तमान मामले में दोनों पक्षों ने खंड 5 पर भरोसा किया

बीमा पॉलिसी। खंड 5 बीमा पॉलिसी में निहित बहिष्करणों के अधीन भी है। कि इमारत के पास की सड़क पर वाहन चलाने के कारण इमारत या मशीनरी को हुए नुकसान को बाहर नहीं रखा गया है। खंड 5 किसी भी रेल/सड़क वाहन या जानवर द्वारा "प्रभाव" की बात करता है। यदि अपीलार्थी कंपनी इमारत के पास की सड़क पर वाहन चलाने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या विनाश को बाहर करना चाहते थे, यह स्पष्ट रूप से इसे बाहर कर सकता था। बीमाकृत को संभवतः समझ में नहीं आया

और उम्मीद करते हैं कि इमारत और मशीनरी का विनाश और क्षति केवल चल रहे वाहन द्वारा सीधी टक्कर तक ही सीमित है-सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भवन या मशीनरी के साथ सड़क पर। सामान्य तौर पर, किसी वाहन के सीधे इमारत या इमारत के अंदर की मशीनरी से टकराने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा, सड़क वाहन द्वारा "प्रभाव" उसी में अन्य शब्दों की कंपनी में पाया जाता है खंड 5 आम तौर पर इंगित करता है कि सड़क के पास वाहन चलाने से कंपन के कारण इमारत को हुई क्षति भी शामिल है। इस खंड की व्याख्या करने के लिए यह भी आवश्यक है कि -

पॉलिसी में उपयोग किए गए शब्दों से पार्टियों के इरादे को इकट्ठा करें। यदि "प्रभाव" शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जाती है, तो किसी भी रेल के प्रभाव का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि किसी रेल के जबरन किसी इमारत या मशीनरी के संपर्क में आने का सवाल ही नहीं उठेगा। विशिष्ट बहिष्करण और संदर्भ में अधिक अर्थ रखने वाले "प्रभाव" शब्द के अभाव में, इसे केवल जबरन संपर्क तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है जब इसमें "गाड़ी चलाने" का अर्थ शामिल हो।

"बंद", "एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की प्रभावी कार्रवाई" और "ऐसी कार्रवाई का प्रभाव", इस संदर्भ में यह मानना उचित और उचित है कि बीमा पॉलिसी के खंड 5 में निहित "प्रभाव" शब्द प्रतिवादी के मामले को यह कहने के लिए शामिल करता है कि बुलडोजर के सड़क पर निकट से चलने के कारण इमारत और मशीनरी को हुई क्षति उसके "प्रभाव" के कारण थी। कानून में यह भी तय स्थिति है कि यदि कोई अस्पष्टता है या कोई शब्द दो संभावित व्याख्याओं में सक्षम है, तो बीमित व्यक्ति के लिए फायदेमंद एक को उस उद्देश्य के अनुरूप स्वीकार किया जाना चाहिए जिसके लिए

नीति ली जाती है, अर्थात्, किसी घटना के घटित होने पर जोखिम को कवर करने के लिए। यद्यपि अभिव्यक्ति "प्रभाव" में कोई अस्पष्टता नहीं है, यहां तक कि अन्यथा विरोधाभास के नियम को लागू करते हुए, तत्काल नीति में खंड 5 में "प्रभाव" शब्द का उपयोग अपीलार्थी के खिलाफ किया जाना चाहिए। जहाँ किसी दस्तावेज़ के शब्द अस्पष्ट हैं, वहाँ उन्हें दस्तावेज़ तैयार करने वाले पक्ष के खिलाफ माना जाएगा। यह नियम बीमा के अनुबंधों पर लागू होता है और वर्तमान मामले में पूरी पॉलिसी को पढ़ने के बाद भी बीमा पॉलिसी के खंड 5 को बीमाकर्ता के खिलाफ माना जाना चाहिए। जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। चंदमुल जैन [ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1644: (1966) 3 एस. सी. आर. 500] ने व्यक्त किया है कि (ए. आई. आर. पी. 1649, पैरा 11)

" बीमा के अनुबंध में उबर्रिमा फिडेस की आवश्यकता होती है अर्थात बीमाकृत की ओर से सद्भावना और अनुबंध को कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम, यानी अस्पष्टता या संदेह के मामले में कंपनी के खिलाफ माने जाने की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. इसी तरह, निर्यात ऋण गारंटी निगम में। भारत का

वी. गर्ग संस इंटरनेशनल (2014) 1 एस. सी. सी. 686, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 11. बीमित व्यक्ति बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है। अनुबंध की शर्तों को अनुबंध की प्रकृति में बदलाव किए बिना सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। द.

बीमा पॉलिसी के खंडों को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे वे हैं।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सोनी चेरियन [(1999) 6 एस. सी. सी. 451], पॉलीमेट इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड [(2005) 9 एस. सी. सी. 174: ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 286], सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वी. ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड [(2010) 11 एस. सी. सी. 296: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 459: ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3400] और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान

चांद राम सरन [(2012) 5 एस. सी. सी. 307: ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2829]।) ”

इसी तरह, बी. एच. एस. इंडस्ट्रीज बनाम. निर्यात ऋण गारंटी

■एन. लिमिटेड (2015) 9 एस. सी. सी. 414, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 31. जैसा कि चंदुमुल जैन [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1644 में कहा गया हैः (1966) 3 एस. सी. आर. 500] संविधान पीठ द्वारा कि बीमा के अनुबंध में, बीमित व्यक्ति की ओर से सद्भावना की आवश्यकता होती है और अस्पष्टता के मामले में, इसे कंपनी के खिलाफ माना जाना चाहिए। अन्य प्राधिकरणों के अनुसार, बीमा पॉलिसी को इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि पॉलीमेट इंडिया (पी) लिमिटेड [(2005) 9 एस. सी. सी. 174] में अभिनिर्धारित किया गया है, यह इसका कर्तव्य है।

दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए न्यायालय जैसा कि दोनों के बीच समझा जाता है पक्षकारों और उसमें निहित शर्तों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए।

XXX XXXXX

35. पॉलिसी की शर्तों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। वहाँ

कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

अस्पष्टता, निर्माण बीमित व्यक्ति के पक्ष में किया जाना चाहिए "सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

32. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पूर्वी खजाने

टी. डी. (2016) 3 एस. सी. सी. 49, इस न्यायालय ने हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों को उद्धृत किया

कमियाँः

" 37. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (5 वीं संस्करण। , खण्ड. 60 , पैरा

105) कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम का सिद्धांत इस प्रकार कहा गया हैः

" प्रोफेरेंटम नियम का उल्लंघन करें। जहाँ नीति में अस्पष्टता है अदालत कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम लागू करेगी। जहाँ एक नीति

बीमाकर्ताओं द्वारा उत्पादित किया जाता है, यह देखना उनका व्यवसाय है कि सटीकता

और स्पष्टता प्राप्त की जाती है और, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अस्पष्टता होगी

बीमित व्यक्ति के लिए अनुकूल निर्माण को अपनाकर समाधान किया जाए।

इसी तरह, बीमित व्यक्ति से निकलने वाली भाषा के संबंध में,

जैसे प्रस्ताव में प्रश्नों के उत्तर में उपयोग की जाने वाली भाषा

या एक पर्ची में, बीमाकर्ताओं के लिए अनुकूल एक निर्माण प्रबल होगा यदि

सक्रिय हो जाता है जहाँ शब्द वास्तव में अस्पष्ट होते हैं; यह एक अस्पष्टता को हल करने के लिए नियम और इसे एक दृष्टिकोण के साथ लागू नहीं किया जा सकता है

संदेह पैदा करने के लिए। इसलिए, जहाँ उपयोग किए गए शब्द मुक्त हैं

अस्पष्टता से इस अर्थ में कि, निष्पक्ष और यथोचित रूप से,

9999

वे केवल एक ही अर्थ को स्वीकार करते हैं, नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

33. औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम में। उड़ीसा का

वी. न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड (2016) 15 एस. सी. सी. 315, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम को रद्द कर दिया हैः

" 10. हम वकील द्वारा की गई प्रस्तुति से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

विरोध प्रस्ताव के नियम के संबंध में अपीलार्थी के लिए। द.

निर्माण का सामान्य कानून नियम "वर्बा चार्टरम फोर्टियस एकर अर्थ छैक कि एकरामे अस्पष्टता छैक।

नीति के शब्दों को उस पक्ष के खिलाफ हल किया जाना है जो

इसे तैयार करें। बीमा कानून पर मैकगिलिव्रे [लेघ-जोन्स,

लॉन्गमोर एट अल (एड.), बीमा कानून पर मैकगिलिव्रे (9 वां)

एडन। , स्वीट एंड मैक्सवेल, लंदन 1997) पी. 280.] इनसे निपटें

विरोध प्रस्ताव का नियम इस प्रकार हैः

" निर्माण का विरोधाभासी नियम केवल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ

खंड का मसौदा तैयार करने वालों द्वारा एक शब्द प्रयोग किया जाता है जो

न्यायालय को सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्णय लेने में असमर्थ छोड़ देता है

व्याख्या करें कि दो अर्थों में से कौन सा सही है। एक अवश्य।

अस्पष्टता पैदा करने के लिए नियम का उपयोग न करें-एक को खोजना होगा

पहले अस्पष्टता। ' शब्दों को उनका सामान्य और [2020] 9 एस. सी. आर. प्राप्त होना चाहिए।

पॉलिसी के सामने या, संभवतः, बाहरी रूप से प्रकट होना आसपास की परिस्थितियों का प्रमाण।

(फुटनोट हटा दिए गए हैं)

11.कॉलिनवॉक्स का बीमा कानून [रॉबर्ट और मर्किन (एड। कॉलिनवॉक्स का बीमा कानून (छठा संस्करण, 1990) पी। 42.]

कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम को निम्नानुसार प्रस्तावित करता है: " नीतियों में विरोधाभासी खंडों के अलावा, अस्पष्टताएँ

उनमें आम हैं और यह अक्सर बहुत अनिश्चित होता है कि पक्ष क्या हैं

उनका मतलब है। ऐसे मामलों में नियम यह है कि नीति,

बीमाकर्ताओं द्वारा चुनी गई भाषा में तैयार किया गया, सबसे अधिक लिया जाना चाहिए उनके खिलाफ जोरदार। इसका अर्थ इसके विरुद्ध माना जाता है।

जो इसे देते हैं। एक संदिग्ध मामले में पैमाने की बारी होनी चाहिए

अध्यक्ष के खिलाफ दिया जाना, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से नहीं है और

पूरी तरह से खुद को व्यक्त किया। बीमाकर्ताओं के लिए कुछ भी आसान नहीं है

स्वयं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। बीमाकृत अपना नहीं रख सकता है

एक नीति पर अपना अर्थ है, लेकिन, जहां यह अस्पष्ट है, यह होना है उस अर्थ में समझा गया जिसमें वह उचित रूप से हो सकता है

यह समझ में आया। यदि बीमाकर्ता दिए गए दायित्व से बचना चाहते हैं

स्पष्ट रूप से, सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है। तो भी। जहाँ यदि किसी खंड का एक अर्थ दिया जाता है, तो शेष पॉलिसी

यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

(फुटनोट हटा दिए गए हैं) "

34. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि अतिरिक्त

प्रीमियम का भुगतान किया गया था ताकि आई. एम. टी.-5 की प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके, किसी भी मामले में बीमा कंपनी पॉलिसी के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

बीमित व्यक्ति और उसके वेतनभोगी चालक या क्लीनर के अलावा अज्ञात यात्रियों की मृत्यु के मामले में मुआवजा, डॉ. अल्पेश गांधी ऐसे ही एक अनाम यात्री हैं। यह इस आधार पर किया गया था कि आई. एम. टी.-5 का अपवाद यह था कि बीमित व्यक्ति के कर्मचारी में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के दायरे में आने वाले व्यक्ति को कवर से बाहर रखा गया है, लेकिन यह कि डॉ. अल्पेश गांधी सुशीलाबेन इंद्रावदन गांधी बनाम के दायरे में नहीं आए थे।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के कारण देय मुआवजे को आई. एम. टी.-5 द्वारा कवर किया जाएगा। हम इस निष्कर्ष को बाधित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। आई. एम. टी.-16 के समर्थन की अप्रयोज्यता, क्योंकि अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए इस मामले के तथ्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धारा-II, जिसका शीर्षक दिनांक 1 की बीमा पॉलिसी में "तीसरे पक्ष के लिए दायित्व" है, बीमा कंपनी को मोटर कार में ले जाए गए व्यक्ति की मृत्यु से छूट देती है, जहां बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान ऐसी मृत्यु हो जाती है। सवाल जो पहले उठता है हम इस बारे में हैं कि क्या "रोजगार" अभिव्यक्ति का व्यापक या संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना है-यदि व्यापक रूप से इसका अर्थ लगाया जाता है, तो किसी व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा "नियोजित" कहा जा सकता है, भले ही वह नियोक्ता का नियमित कर्मचारी न हो। हालांकि, बीमा कंपनी द्वारा जिस व्यापक अर्थ के लिए प्रचार किया गया है, उसे संभवतः नहीं दिया जा सकता है, भाषा को देखते हुए तुरंत पहले, अर्थात्, "पाठ्यक्रम में", जिससे यह संकेत मिलता है कि "रोजगार" केवल नियोक्ता द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति का हो सकता है। अन्यथा भी, यह मानते हुए कि कोई अस्पष्टता या संदेह है, यहाँ ऊपर निर्दिष्ट विरोधाभासी नियम को लागू किया जाना चाहिए, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस तरह का "रोजगार" केवल संस्थान के नियमित कर्मचारियों को संदर्भित करता है, जो, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर देखा है, डॉ. अल्पेश गांधी निश्चित रूप से नहीं थे।

35. अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के दिनांकित आदेश पर भरोसा किया

05.03.2019 2019 के सी. ए. 2488 में जो इस प्रकार हैः

" 1. छुट्टी दे दी गई।

2. विवादित आदेश से उत्पन्न होने वाले सीमित प्रश्न की जांच बीमा कंपनी के निर्देश का प्रभाव है। केवल Rs.25,000/- की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और शेष राशि उत्तरदाता संख्या 2 से वसूल की जा सकती है।

3. अपीलार्थी/दावेदार यह तर्क देना चाहते हैं कि यह असंभव है।

अपीलार्थियों को विशेष रूप से उनके उपचार को लागू करने के लिए

आर्थिक स्थिति।

4. मामले के परिप्रेक्ष्य में और विद्वान वकील को सुनने पर

पक्षकारों के लिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि उत्तरदाता संख्या 1-बीमा कंपनी द्वारा पूरी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए और उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा भुगतान की जाने वाली देयता से परे की राशि हो सकती है -

बीमा कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से वसूल किया गया।

आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है

' एन लागत "।

ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले के तथ्यों पर अनुच्छेद 142 के तहत आदेश पारित किया गया है, किसी भी मामले के संदर्भ के बिना ई दृष्टिकोण जो हमने लिया है, हमारे लिए यह कहना अनावश्यक है

ऐसे आदेश पर।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम अपील की अनुमति देते हैं, गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं और मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण को बहाल करते हैं।

अपील की अनुमति

दी गई।

अल